असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 अगस्त, 2016

षोडश विधान सभा मंगलवार, तिथि 02 अगस्त, 2016 ई0
तृतीय सत्र 11 श्रावण,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, राज्य के अंदर लगातार महादलित उत्पीड़न की घटना घट रही है । पेशाब पिलाया जा रहा है, पारू में महादलित को पेशाब पिलाया गया है । मनीगाछी में महिला को नंगा करके.....

अध्यक्ष : आप समय पर उठाइयेगा, अभी प्रश्नकाल चलने दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, एक मिनट सुन लीजिये । महिला को नंगा कर पीटा गया है । हीरा पासवान की हत्या की गई । कैमूर में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई है । हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार में लगातार इस तरह की घटना घट रही है....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सदन की कार्यवाही कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, उससे चलती है....

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अध्यक्ष : अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 1 (श्री विजय कुमार सिन्हा)

(इस अवसर पर भाजपा के कई माननीय सदस्यगण हाथ में तख्ती लेकर अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : पहले तख्ती रख दीजिये तब प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 1 (श्री विजय कुमार सिन्हा)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 3(ii) के अनुसार महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षकों (सहायक प्राचार्य) के स्वीकृत पद पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन किये जाने का प्रावधान किया गया है । यह सत्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा विनिर्धारित मापदंडों का प्रतिपालन करने के दृष्टिकोण से इस संशोधन अधिनियम की धारा 3 (iii) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कौन्सिल फोर

साइनटिफिक एण्ड इंडसट्रियल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता एवं विशविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2010 द्वारा निर्धारित विहित अर्हत्ताओं को आधार बनाया गया है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । नेट परीक्षा के हिन्दी माध्यम के प्रश्न पत्र की शब्दावली कठिन एवं अप्रचलित होने के कारण बिहार राज्य के छात्रों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इस आशय की कोई भी अधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है ।

3. उत्तर उपर्युक्त खण्ड- 1 में सन्निहित है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्तर पर यू0जी0सी0 का नेट के द्वारा परीक्षा लिया जाता है वर्ष में दो बार और अन्य राज्य सरकार के द्वारा भी लिया जाता है लेकिन बिहार में यह परीक्षा क्यों नहीं लिया जाता है ? हमलोग डोमिसाइल की बात करते हैं, परीक्षा नहीं लेने से राज्य के बाहर के लोग आकर व्याख्याता के पद पर नियुक्ति ले लेते हैं, बिहार के लोग वंचित रह जाते हैं ।

महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर यह पात्रता परीक्षा कब से शुरू होगा और कब से यह नियमावली बंद पड़ा है, कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? बाहर के कितने लोग यहाँ पर नियुक्ति प्राप्त किये हैं ? आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अलग से, सर । यह तो बहुत वाइड प्रश्न हो गया । अलग से प्रश्न करेंगे तो हम जवाब देंगे । ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर हमने दिया है कि अभी इसकी क्या स्थिति है । अलग से प्रश्न करें कि कितने लोग आये हैं, कितने लोग नहीं आये हैं ।

आपका प्रश्न है, हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो व्याख्यता हैं उसके लिये प्रश्न कर रहे हैं । अभी जो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, बी0पी0एस0सी0 से जो बहाली हो रही है उसका सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि बाहर के लोग आये हैं । आपके माध्यम से आप वही जानकारी दें जिसके संदर्भ में प्रश्न है । उसी का विवरण हम आपसे चाहते हैं और आपके द्वारा यह परीक्षा कब से शुरू होगी ? क्या नियमावली बनी है ? क्या सरकार डोमिसाइल का जो नारा बाहर देती है, वह नारा सदन के अंदर भी लागू किया जायेगा क्या ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या मापदंड अभी है, उस मापदंड पर हम बहाली कर रहे हैं, हमारा जो मापदंड यू0जी0सी0 ने निर्धारित किया है, उस अर्हत्ता पर हमारे यहाँ बहाली हो रही है ।

जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं सप्लीमेंट्री, प्रोफेसर की बहाली के बारे में जो बात कर रहे हैं, 16 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आया है, यू0जी0सी0 ने जो 2009 नेट को

जो डिसक्वालिफाई किया है, उसपर हमलोग वेट करायेंगे, लीगल एडवाइस लेकर हमलोग निर्णय करायेंगे । आप सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं कि कितने लोग बहाल हुये हैं । अलग से क्वेश्चन कर दीजिये, हम जवाब दे देंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा कि हमारा मापदंड, तो सदन जानना चाहता है कि मापदंड क्या है ? सरकार मापदंड क्या बनायी है ? थोड़ा विस्तार से माननीय मंत्री जी बतायें । यह यहाँ के शिक्षा के भाग्य से जुड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय जी, आपने इसमें सीधा प्रश्न पूछा है कि जैसे प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षकों के लिये राज्य सरकार अपने स्तर से पात्रता परीक्षा लेती है उसी तरीके से व्याख्याता में क्यों नहीं लेती है ? व्याख्याता में जो केन्द्र सरकार के द्वारा नेट परीक्षा आयोजित होती है, यहाँ उसी के माध्यम से पात्रता परीक्षा ली जाती है । आपने कहा है इस प्रश्न में कि जैसे माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षकों के लिये राज्य सरकार अपने स्तर से पात्रता परीक्षा लेती है, वह व्याख्याता के लिये भी करे । आपके प्रश्न में यही है । अगर आप कोई दूसरी चीज अलग से जानना चाहते हैं तो वह अलग बात है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, वही समय-सीमा तो बताया जाय कि कब से यह शुरू होगा और उनका मापदंड हम जानना चाहते हैं । मेरी जिज्ञासा है । अध्यक्ष महोदय, हमारी जिज्ञासा सदन की जिज्ञासा है । सारा सदन जानना चाहता है कि मापदंड है क्या? कब से शुरू होगा ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : इसपर सर, एक सप्लीमेंट्री भी कल शून्यकाल में उठाया गया था खेमका जी का, उसका ध्यानाकर्षण है, प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण है, हम जवाब देंगे, पूरा डिटेल जवाब दे देंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, प्रश्न अभी अल्प-सूचित का है । हम अल्प-सूचित के लोग ध्यानाकर्षण का इंतजार क्यों करें ? अभी क्यों नहीं जवाब दिया जा सकता है ? महोदय, जो माननीय मंत्री जी कहे हैं, सदन को आपके माध्यम से जानने का अधिकार है । वह मापदंड तो बता दें । आप मापदंड बतायें । अध्यक्ष महोदय, जो जानना चाहते हैं, आज सदन में आधा से अधिक नये लोग हैं....

अध्यक्ष : आप इस प्रश्न में मापदंड कहाँ जानना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : मंत्री महोदय ने मापदंड का जिक्र किया ।

अध्यक्ष : आपने तो सिर्फ कहा है कि सरकार राज्य स्तर पर परीक्षा लेना चाहती है या नहीं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण भी चाहिये । मंत्री महोदय ने ही मापदंड का नाम लिया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसमें आप यह बता दीजिये कि राज्य सरकार अपने स्तर से पात्रता परीक्षा लेने का विचार रखती है या फिर जो अभी केन्द्र सरकार के माध्यम से जो नेट की परीक्षा ली जाती है, वही रखना है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अभी कोई ऐसा विचार विचाराधीन नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ । जैसे केन्द्र सरकार नेट परीक्षा लेती है, वैसे ही अन्य राज्य सरकारें राज्यस्तरीय सेट परीक्षा लेती है । वही जो राज्यस्तरीय व्याख्याता हैं उसको सेट कहते हैं दूसरे राज्यों में । जब बिहार सरकार कहती है कि 80 परसेंट हम आरक्षण देंगे तो नेट अगर भारत सरकार लेती है तो सेट की परीक्षा राज्य सरकार क्यों कहती है कि हमारी मंशा नहीं है ? भारत सरकार नेट परीक्षा ले रही है तो अन्य राज्यों की तर्ज पर क्या बिहार में भी सेट के माध्यम से परीक्षा राज्य सरकार लेना चाहती है ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि अभी विचार नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : विचार करना चाहिये । यह बिहार के भविष्य की बात है, क्यों नहीं विचार होगा ?

अध्यक्ष : यह आपका सुझाव है ।

श्री संजय सरावगी : सरकार क्यों नहीं विचार करना चाहती है ? यह बहुत गंभीर बात है ।

(व्यवधान)

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 2 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 में बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि0 के द्वारा 1,23,61,213 बच्चों के लिए पुस्तकों की आपूर्त्ति प्रखंड स्तर तक की जा चुकी है, साथ ही दिनांक 31.08.2016 तक शेष बचे बच्चों के लिए पुस्तकें आपूर्त्ति करने का लक्ष्य रखा गया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में लगभग 2 करोड़ बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं और सरकार ने लगभग 1 करोड़ बच्चों को पुस्तक पहुँचाने का काम किया है । मार्च से अप्रील तक शैक्षणिक सत्र चलता है और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग 3-5 महीने बीत चुके हैं और शिक्षा के अधिकार को सबों ने गंभीरता से भी लिया है और सरकार भी शैक्षणिक क्षेत्र में परिवर्त्तन की बड़ी-बड़ी बातें करती है । इस हालत में जब प्राथमिक विद्यालय के 1 करोड़ बच्चों को हम पुस्तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जबकि इसमें तीन कार्य एजेन्सी लगती है....

अध्यक्ष : सवाल पूछिये न !

श्री तारकिशोर प्रसाद : हम सवाल पर आ रहे हैं कि बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद किताब को भेजती है, बिहार राज्य पाठ्यक्रम निगम उसको छापती है और प्रखंड संसाधन केन्द्र पर सीधे किताब को पहुँचाया जाता है ।

...क्रमशः...

टर्न–2/आजाद/02.08.2016

..... क्रमशः .....

श्री तारकिशोर प्रसाद : और प्रखंड संशाधन केन्द्र पर उसको सीधे किताब को पहुँचाया जाता है और यह सारी मशीनरियों का नियंत्रण शिक्षा मंत्री और उनके प्रधान सचिव करते हैं तो क्या सरकार शैक्षणिक क्षेत्र में सरकार गंभीर नहीं है और गंभीर है तो इस तरह की परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है ? जबकि पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष महोदय, पाठ्यक्रम जब प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उसका परिवर्तन भी नहीं होता है तो इसकी तैयारी सरकार पूर्व से क्यों नहीं करती है ?

अध्यक्ष : तारकिशोर जी, हम बराबर कहते हैं कि पूरक प्रश्न पूछिए न । आपलोग अपना सुझाव देकर बात समाप्त कर देते हैं और तब कहते हैं कि जवाब दीजिए । सुझाव का जवाब थोड़े होता है, सुझाव पर तो विचार होता है । प्रश्न का जवाब होता है न ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि0 को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से सर्वशिक्षा सत्र 2016–17 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क देने हेतु 1.79 करोड़ पुस्तकों का सेट मुद्रित कर प्रखंड स्तर पर आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त हुआ था । निगम द्वारा सभी पुस्तकें ससमय आपूर्ति हेतु विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया था और उसी के अनुरूप पुस्तकों की आपूर्ति की जा रही थी परन्तु मेम्बरन हिन्दुस्तान पेपर्स लि0, भारत सरकार का उपक्रम द्वारा कागज की आपूर्ति में विलम्ब के कारण पुस्तकों की मुद्रण एवं आपूर्ति में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ है, फिर भी निगम द्वारा अभी तक लगभग 72 प्रतिशत पुस्तकों की आपूर्ति प्रखंड स्तर पर की जा चुकी है तथा शेष पुस्तकें अगस्त,2016 के अन्त तक आपूर्ति कर दी जायेगी । मेम्बरन हिन्दुस्तान पेपर्स कॉरपोरेशन जो है, यह लम्बे समय तक 20–25–30 वर्षों से बिहार टेक्सट बुक कॉरपोरेशन को पेपर्स सप्लाई कर रहा है । यह ऑलरेडी जो संस्था है, यह एकदम मृतप्राय कगार पर चली गयी है । लेकिन भारत सरकार का उपक्रम है और इससे ही हमलोग ट्रेडशनली पेपर्स सप्लाई लेते रहे हैं, इसलिए अभी तक सरकार ने उससे हट करके मार्केट से सप्लाई का व्यवस्था नहीं किया था । हमलोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बिहार पब्लिक टेक्सट बुक कॉरपोरेशन के किताबों का सप्लाई डिपेन्ड करता है इन्हीं के ऊपर, जब वहां से पेपर्स आता और यह डिले बार–बार हो रहा है । इसलिए हम इसको रेक्टीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है । जिस रेट पर पेपर्स हिन्दुस्तान पेपर्स कॉरपोरेशन दे रहा है, अगर उसी रेट पर मार्केट में कोई दे सकता है उसी क्वालिटी का पेपर्स, उसपर भी चर्चा चल रही है । हम समझते हैं कि एक–दो महीने में कोई न कोई रास्ता इसका निकलेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार कब तक बच्चों तक पुस्तक उपलब्ध कराने का इरादा रखती है, सरकार यह बताये और दूसरी बात जब अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बार-बार इस तरह की बातें हो रही है तो यह दायित्व सुनिश्चित किया जाय कि बार-बार होने के बावजूद भी सरकार क्यों नहीं चेती, जब एक बार, दो बार, तीन बार यह बात हुई तो सरकार क्यों नहीं चेती और इसका दायित्व किस पर बनता है और उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, हमने कहा है कि शेष पुस्तकें को अगस्त,2016 के अन्त तक सप्लाई कर दी जायेगी लेकिन यह एक गंभीर मामला था, क्योंकि भारत सरकार का यह उपक्रम है और ट्रेडशनली इनसे लिया जा रहा था, कोई भी हिम्मत नहीं करता था मार्केट से लेने का, क्योंकि मोर्केट से लेगा तो लोग कहेंगे कि करप्शन हो गया । भारत सरकार के उपक्रम से नहीं ले रहे हैं लेकिन इसके चलते समस्यायें हो रही हैं । इसलिए इसपर क्या रास्ता निकल सकता है, इसपर चर्चा हो गई है, दो-दो मीटिंग हो चुकी है । इसमें हमलोग रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नन्दकिशोर यादव जी ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, विषय बहुत गंभीर है । महोदय, सदन इस बात का गवाह है कि टेक्सट बुक कमिटी के निष्क्रियता के कारण, उनके अन्दर के गड़बड़ी के कारण प्रत्येक वर्ष हमारे जो बच्चे हैं, उनको समय पर पाठ्य-पुस्तक नहीं मिलता है और महोदय, एक बात तो तय रहती है कि कब एडमिशन होगा, कब से पढ़ाई शुरू होनी है, यह तो तय है। वर्षों से तय है, जब यह तय है कि मार्च से पढ़ाई प्रारम्भ होगी तो महोदय, सरकार का दायित्व था कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम की पढ़ाई प्रारम्भ हो, इसके पहले सभी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करा दें, यह सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार ने खुद कहा है महोदय, यह जो आप बार-बार भारत सरकार-भारत सरकार कह रहे हैं, यह निर्णय भारत सरकार का नहीं है कि आप किससे कागज खरीदेंगे, यह निर्णय आपका है, आपको तय करना है कि कागज किससे खरीदेंगे ? भारत सरकार - भारत सरकार क्या कहते हैं आप ? महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश मत करिए, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों तक लगातार और महोदय, इस सदन के अन्दर टेक्सट बुक कॉरपोरेशन के कार्य-कलाप के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और उसके कमियों के बारे में चर्चा हुई है । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो सरकार की नीति है, कागज का जो अभाव हो रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, टेक्सट बुक कॉरपोरेशन में जो गड़बड़ियां हैं, उसके जिम्मेवार लोगों पर क्या कार्रवाई की गई और समय पर बच्चों को पुस्तक उपलब्ध हो, इसके लिए और कौन सी कार्रवाई कर रही है अगले साल से, सरकार यह बताये ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : सर, इसके लिए दो-दो स्तर पर प्रधान सचिव ने टेक्सट बुक कॉरपोरेशन की बैठक की है और सरकार इसपर गंभीर है । हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से यह समस्यायें नहीं रहेगी । कैसे हम अल्टरनेट पेपर्स सप्लाई कराये, सर, आप खुद भी सरकार में रहे हैं और आप समझते हैं कि क्या परिस्थतियां हैं। टेक्सट बुक कॉरपोरेशन हिन्दुस्तान पेपर्स लि0 से कागज पिछले 25-30 वर्षों से ले रहा है, यह भारत सरकार का उपक्रम है । समय पर कमीटमेंट करता है लेकिन समय पर कागज उपलब्ध नहीं करता है । हर बार 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना डिले करता है । जब तक पेपर्स आयेगा नहीं, तब तक कैसे होगा ? इसलिए हमलोग इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं। हमको समय दीजिए, हम कह रहे हैं कि हमको दो महीना का समय दीजिए, अल्टरनेटिव व्यवव्स्था हमलोग कर रहे हैं । अगले शैक्षणिक सत्र से आश्वस्त करते हैं कि मार्च तक निश्चित रूप से पुस्तकों का सप्लाई हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, महोदय, मेरे प्रश्नों का जवाब तो होना चाहिए । मैंने कहा महोदय कि सदन गवाह है, सदन ने टेक्सट बुक कॉरपोरेशन में जो गड़बड़ियां हैं, उसकी चर्चा की है । मैं कहना चाहता हूँ कि केवल कागज की कमी नहीं है, केवल कागज के कमी के कारण विलम्ब नहीं हुआ है और जो गड़बड़ी है टेक्सट बुक कॉरपोरेशन में, उसके बारे में मैंने कहा है कि कौन सी कार्रवाई आप करना चाहते हैं, उन गड़बड़ियों को दूरस्त करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए ? सरकार उसपर मौन है महोदय, इसपर सरकार का जवाब चाहिए ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : स्पेसीफिक आप कंप्लेन कीजिए न, उसका रास्ता निकालेंगे । ऐसे ही बात आप बोलियेगा कि टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन में बहुत गड़बड़ियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, आप बोलिए न ? हम उसकी सदन से जॉच करायेंगे, स्पेशल कमिटी से जॉच करायेंगे, कार्रवाई करेंगे पदाधिकारियों पर । स्पेसीफिक आप कंप्लेन करिए न ।

अध्यक्ष : श्री ललित यादव जी ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, जब मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं, मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है महोदय, मंत्री महोदय एक बार बता दें कि कागज की आपूर्ति के लिए कब-कब आपने लिखा है और उसमें कितना विलम्ब हुआ है, गड़बड़ी कहां है, आपको पता चल जायेगा और महोदय, जब मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि कमिटी बना दी जाय और सर्वदलीय कमिटी बना दी जाय और कमिटी बिहार टेक्सट बुक कॉरपोरेशन के कार्य-कलाप की जॉच कर ले और समय पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक नहीं मिलता है, इसकी भी सरकार समीक्षा कर ले । महोदय, विषय गंभीर है और माननीय मंत्री ने इसको स्वीकार किया है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी । यह अंतिम पूरक है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के जवाब से सहमत हूँ लेकिन यह माननीय मंत्री जी ठीक है बता रहे हैं कि भारत सरकार के उपक्रम है, उनके वजह से पेपर्स में विलम्ब हो रहा है लेकिन महोदय, आज से नहीं विगत 20 साल से, 25 साल से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित जी, प्रश्न पूछिए न ।

श्री ललित कुमार यादव : यानी सरकार इसके लिए कौन-सी ठोस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है । एक और दूसरा इसके टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन में ही गड़बड़ी है, माननीय मंत्री जी अनेकों शिकायत मिली होगी, हम कह रहे हैं कि आप उसकी जाँच कराईए, आपको पता चल जायेगा विलम्ब का कारण ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अल्प-सूचित प्रश्न सं0-3 (श्री श्याम रजक)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्रवाई चल रही है। सभी विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल 3345 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई की जा रही है । मैथिली विषय में नियुक्ति हेतु अनुशंसा भी सभी विश्वविद्यालयों को भेजे जा चुके हैं तथा अधिसंख्य विश्वविद्यालयों में इस विषय में नियुक्ति भी हो चुकी है । कई विषयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा की कार्रवाई पूरी कर ली गई है । कई विषयों में अन्तर्वीक्षा चल रही है । शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी । शिक्षकों की नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालयों में सुचारू रूप से पठन-पाठन हेतु अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भी विश्वविद्यालयों को निदेशित किया गया है ।

2. उत्तर उपरोक्त खण्ड 1 में सन्निहित है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, 60 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बी0पी0एस0सी0 से करा रहे हैं । लेकिन हमारे जो छात्र हैं, उनको सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनको निजी विद्यालयों में जाना पड़ रहा है और उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है । क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय किये हैं माननीय शिक्षा मत्री जी, जिससे कि उन बच्चों का भविष्य सुधर जाय और ज्यादा पैसा नहीं लगे, उसी विश्वविद्यालयों में अपना शिक्षा अध्ययन करने का काम कर सके ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से बात हुई है और इसको स्पीड-अप करने के लिए हमलोग प्रयासरत है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द से जल्द कॉलेज शिक्षकों की बहाली के प्रोसेस को कंप्लीट कर ले क्योंकि बिहार

पब्लिक सर्विस कमीशन से होना है, इसलिए इसपर हमलोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को स्पीडी इन्टरभ्यू कराने का ही प्रयास कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, स्पीडी करा रहे हैं लेकिन आज भी मूल्यांकन में गड़बड़ी हो रही है । अभी 2013-15 का जो मूल्यांकन हुआ मगध विश्वविद्यालय का, उसमें 70 प्रतिशत में रिजल्ट में गड़बड़ी पाया गया । इन सब चीजों के लिए क्या करेंगे, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ? दूसरा चीज 27 जुलाई,2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षा की थी और उन्होंने कहा था कि गुणवता के आधार पर शिक्षा और शैक्षणिक माहौल बनाया जायेगा तो जब शिक्षक की कमी है और दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन में गड़बड़ी हो रही है । हमारे विद्यार्थी निजी विद्यालयों में जाना पड़ता है तो इन सब चीजों के लिए जो राज्य के छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उनको इस तरह की परेशानी हो रही है तो हम जानना चाहेंगे कि आप समय-सीमा क्यों नहीं तय करते हैं । एक समय सीमा के अन्दर सारी चीजों को निराकरण कीजिए । अभी भी आपने 3000 की बात कही है, जबकि 6888 शिक्षक की कमी है तो 3000 अभी करेंगे, फिर इसको और कब करेंगे, एक लौंग पीरियड हो जायेगा और हमारे छात्र जो आ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा । उसके लिए कुछ समय-सीमा तय करना चाहते हैं ?

टर्न-3/अंजनी/दि0 02.08.2016

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमीशन को भी स्पीडअप करने के लिए कह रहे हैं । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ । पहले जो पुराने यू0जी0सी0 के गाईड लाईन थे, उसके बाद अभी नया गाईड लाईन में छूट दिया गया है तो माननीय मंत्री महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पहले जो लोग पी0एच0डी0 धारी रहते थे, उनकी डायरेक्ट नियुक्ति की जाती थी तो क्या माननीय मंत्री महोदय अपने स्तर से समीक्षा कराकर जो पी0एच0डी0धारी, जो डिग्री होल्डर हैं, उन लोगों को विश्वविद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति में प्राथमिकता देने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : सरकार ने तो अपनी मंशा बतायी है कमीशन से नियुक्ति कराने के लिए, आप सीधी नियुक्ति की बात क्यों कर रहे हैं ?

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे, प्रश्न संख्या-65 ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, इसमें एक सवाल यह है, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बात कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आया है, उसमें 75 फिसदी, 80 फिसदी, 90 फिसदी लोग बिहार के बाहर के राज्य से आये हैं तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि राज्य के बच्चे का भविष्य का ख्याल रखते हुए ज्यादा-से-ज्यादा इसमें इस राज्य के लोग आयें ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न संख्या-65 । आज सभी माननीय सदस्य उच्च शिक्षा में रूचि लेने लगे हैं ।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : सर, इंटरमीडियट और कॉलेजों में अभी नामांकन चल रहा है, मैट्रिक पास लोगों की संख्या ज्यादे है, वहां इंटरमीडियट के एडमिशन में सीमित सीट है तो बाकी बच्चे कहां जायें और इंटरमीडियट पास बच्चे जिनका एडमिशन ग्रेजुएशन में कराना है और सीट वहां निर्धारित कर दिया गया है तो जो बच्चे इंटरमिडियट पास कर गये हैं, वे बच्चे कहां जायें, अत: सीटों को संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपके सुझाव को सरकार ग्रहण करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-65(श्री नारायण प्रसाद)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-66(श्री रमेश ऋषिदेव)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 315 दिनांक 29.07.16 द्वारा सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुमारखंड प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय वेलारी एवं उच्च विद्यालय रोता में दो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर अध्यापन कार्य संचालित किया जा रहा है ।

सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, वेहरी को उत्क्रमित नहीं किया गया है ।

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, जो उच्च विद्यालय है, उसमें दो शिक्षक है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो 12 विषय है तो विषयवार टीचर देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-67(श्री राणा रणधीर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा सूचित किया गया है कि पकड़ीदयाल अनुमंडल से 5 किलोमीटर अंतर्गत प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, बड़गांवा, पकड़ीदयाल अवस्थित है, जिसका प्लस-2 में उत्क्रमण किया जा चुका है । इसमें बालिकाओं का उच्च माध्यमिक (प्लस-2) स्तर का पठन-पाठन होता है ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, अनुमंडल मुख्यालय बने हुए 15 साल हो गये हैं, सड़कों की हालत ठीक नहीं है, आप अनुमंडल में एक इंटर कॉलेज खोल सकते हैं । एक विद्यालय है वहां पर,

वहां के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके अगर वहां करेंगे तो पांच किलोमीटर जो डिसटर्ब इलाका है, वहां बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है, अगर अनुमंडल मुख्यालय में करेंगे तो बेहतर होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, सरकार ने ही निर्णय लिया था कि अनुमंडल मुख्यालय पर हम हर प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था करेंगे । महोदय, पकड़ीदयाल अनुमंडल में इंटर कॉलेज नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि सरकार के निर्णय के आलोक में क्या सरकार पकड़ीदयाल में, अनुमंडल हेडक्वार्टर में कोई इंटर कॉलेज, बालिका उच्च विद्यालय, पांच किलोमीटर विषय नहीं है, पांच किलोमीटर तो पूरे बिहार का जेनरल विषय है, सरकार ने तय किया था कि पांच किलोमीटर की परिधि में एक प्लस-2 स्कूल खोलेंगे, यह विषय है अनुमंडल मुख्यालय का, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार के निर्णय के आलोक में क्या उस अनुमंडल मुख्यालय में बालिका उच्च विद्यालय, इंटर कॉलेज, खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, अनुमंडल में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, ये बालिकाओं के बारे में कह रहे हैं, सरकार का स्पेसिफिक कोई मेल/फिमेल जेंडर पर खोलने का प्रावधान नहीं है , हम इसको देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-68(श्री प्रह्लाद यादव)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, खंड-1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरिया(लखीसराय) में विद्यार्थियों की संख्या 1211 है और शिक्षक का पदस्थापन सात है । उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरिया सहित जिला के अन्य उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कुल संख्या-70663 तथा शिक्षकों की संख्या-1418 है । इस प्रकार जिलान्तर्गत छात्र/शिक्षकों का अनुपात 50:1 का है ।

खंड-2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1924 दिनांक 15.12.2009 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां शिक्षक अधिक हैं तथा छात्र कम हैं, वहां से शिक्षकों को इकाई सहित वैसे विद्यालय में सामंजित किया जाय जहां छात्र अनुपात में शिक्षक कम हैं । जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय को उक्त प्रावधान के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 850 दिनांक 27.06.2016 द्वारा निदेश निर्गत किया गया है।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री का जवाब सुन लिये । महोदय, अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि अभी एक नियम निकला है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग करना अनिवार्य है और पूरे जिला में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जहां के दो-तीन शिक्षक ट्रेनिंग में चले गये हैं तो

वह भी विद्यालय बंद हो गया है । दो साल का ट्रेनिंग होगा और दो साल तक विद्यालय बंद रहेगा और जहां तक माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, हम उसमें समझते हैं कि करीब-करीब हमलोगों के जिला में स्कूल बंद होनेवाला है, जो अभी स्थिति बनी है । एक स्कूल है टेन प्लस-2 पिपरिया दियारा में, उसमें एक भी शिक्षक नहीं हैं.....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो टेन प्लस-टू विद्यालय बना है, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है तो वहां नामांकन कैसे होगा ? जो विद्यार्थी मैट्रिक पास कर गये, उसके लिए कोई व्यवस्था किये हैं माननीय मंत्री जी और जो स्कूल बंद के कागार पर हैं और अभी वर्त्तमान में स्कूल बंद नहीं हो, उसके लिए कोई व्यवस्था किये हैं और अगर किये हैं तो बताइए ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, माध्यमिक और प्लस-2 में शिक्षकों की कमी है और उसके बहाली की प्रक्रिया चल रही है, हम समझते हैं कि तीन-चार-पांच महीने पूर्व बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया गया है और बहाली हो जायेगी । उसके बादे ये सारी समस्यायें कम हो जायेगी । पूरे बिहार में यही परिस्थति है । जहां तक ट्रेनिंग की बात है, टीचर को ट्रेनिंग कराना आवश्यक है और किसी विद्यालय के शिक्षक ट्रेनिंग में चले जायेंगे और विद्यालय बंद हो जायेगा तो आपका यह स्पेसिफिक विद्यालय है तो आप बताइए कि स्कूल बंद है तो हम डी0ई0ओ0 से बात करेंगे । डी0ई0ओ0 को स्पष्ट निदेश दिया गया है कि कोई भी विद्यालय बिना शिक्षक के नहीं रहें, इसके लिए डी0ई0ओ0 को देखना है, अगर कोई डी.ई.ओ. ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनके उपर सरकार कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : आप लखीसराय से पिपरिया कहां पहुंच गये ? माननीय मंत्री जी, इसमें तो माननीय सदस्य का प्रश्न एक विद्यालय से संबंधित है, इसको आप देखवा लीजिए कि शिक्षकों की कमी के कारण न बंद हो और न पढ़ाई बाधित हो ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, मंत्री जी लगातार जवाब दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं.....

अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वे यह नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग द्वारा जो नियुक्ति का इधर फरमान जारी किया गया है- बिना जिले से रिक्त पदों की सूची लिये हुए ही यह कार्य किया जा रहा है। नालन्दा जिला में पूरा प्लस-टू स्कूल की वही स्थिति है। हम शिक्षा मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या नालन्दा जिला के प्लस-टू विद्यालयों की स्थिति वही रहेगी ?

टर्न-4/शंभु/02.08.16

तारांकित प्रश्न सं0-69 (श्री दिनेश चन्द्र यादव)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

2-उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-43, दिनांक-30.08.2013 द्वारा कुल 9 अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें सहरसा जिले का सिमरी-बख्तियारपुर अनुमंडल भी शामिल है । विभागीय पत्रांक-917, दिनांक-11.05.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा को सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोलने हेतु चयनित की गई भूमि को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने हेतु निदेश दिया गया है । पुनः विभागीय पत्रांक-1188, दिनांक-25.07.2016 द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया है । भूमि हस्तांतरित होते ही महाविद्यालय निर्माण का कार्य शुरू किया जा सकेगा । जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज संचालित नहीं है, वहां तत्काल दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

3-उत्तर उपरोक्त खण्ड 02 में सन्निहित है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया धन्यवाद इसके लिए लेकिन एक प्रश्न बार-बार आता है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और जिला पदाधिकारी को स्मारित किया जा रहा है, लेकिन यह राज्य की बहुत जटिल समस्या है । जो भी योजना होगा जिसमें जमीन की आवश्यकता होती और उसमें जमीन अधिग्रहण किया जाता, लेकिन प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिला में जिला पदाधिकारी जमीन अधिग्रहण में रूचि ले ही नहीं रहे हैं । यह भी जो डिग्री कॉलेज है, यह 2008-09 में स्वीकृत हुआ और हम समझते हैं कि सरकार का निर्णय था कि सभी वैसे अनुमंडल जिसमें डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज हम सरकारी स्तर पर स्थापित करेंगे, लेकिन इतना वर्ष बीत गया और जमीन की प्रक्रिया उलझी हुई है तो हम यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस तरह के विषय में जिसमें जमीन की आवश्यकता है- क्या कोई ऐसा सेल बनाकर के या विभाग से समय-समय पर समीक्षा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा व्यवधान हो गया, इसीलिए नहीं सुन सके । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण में जो विलंब हो रहा है तो क्या विभाग में कोई सेल या इस तरह की कोई योजना बनाकर के पूरे बिहार में जहां भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है.....

अध्यक्ष : ठीक है दिनेश जी । मंत्री जी, इनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के कारण कई योजनाएं लंबित रहती है । इसलिए भूमि अधिग्रहण के मामले की समीक्षा नियमित अंतराल पर विभाग करे । यह उनका सुझाव है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहें तो कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, तब उनका आश्वासन होगा ।

अध्यक्ष : उन्होंने उसको स्वीकार किया है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : बैठे-बैठे स्वीकार कैसे करेंग ? मंत्री जी को तो खड़े होकर कहना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हम करेंगे ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : माननीय सदस्य का प्रश्न प्रदेश के हित में है और सरकार का निर्णय है कि सभी अनुमंडल में महाविद्यालयों का निर्माण हो । इसमें जो त्रुटि है, उसके सुधार के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ एक हम इसका रिव्यू करवा देते हैं और जल्द से जल्द इसका इम्पलीमेंट करवाने का प्रयास करते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : ठीक है, धन्यवाद ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोग जो जमीन दे रहे हैं.....

अध्यक्ष : आप तो कहे कि व्यवस्था पर खड़े हैं ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : जी व्यवस्था ही है ।

अध्यक्ष : किस नियम के तहत व्यवस्था पर हैं ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : व्यवस्था है कि.....

अध्यक्ष : आपका पूरक है कि व्यवस्था है ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : पूरक है ।

अध्यक्ष : तो पूरक बोलिए न, कह रहे हैं कि व्यवस्था है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : जी, पूरक है । मामला यह है कि आपने नवसृजित विद्यालय खोला है, जमीन उपलब्ध नहीं है, कुछ लोग जमीन भी दे रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आवेदन पड़ा है तो सी0ओ0 के यहां तीन महीना, डी0सी0एल0आर0 के यहां पांच महीना और कलक्टर साहब के यहां एक साल इसके चलते विद्यालय भवन नहीं बन रहे हैं और इस तरह की घटना मेरे गोरियाकोठी विधान सभा में 35 है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि कलक्टर को हिदायत दिया जाय कि जितना जल्दी हो सके, आदेश दें ताकि लोग निबंधित करा सकें ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-70 (श्री अरूण कुमार)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य के सभी कन्या उच्च विद्यालयों में सिर्फ महिला शिक्षिकाओं के पदस्थापन का कोई नीतिगत निर्णय नहीं

है। महिला शिक्षिकाओं की उपलब्धता के आधार पर उनका पद स्थापन कन्या उच्च विद्यालय में करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री अरूण कुमार (भोजपुरी का हिन्दी अनुवाद) : अध्यक्ष महोदय, हम पूछते हैं कि माननीय मंत्री महोदय तो सब जवाब बराबर देते ही गये, लेकिन हमारा जो कन्या विद्यालय है वह बना है इसीलिए कि उसमें कन्या मास्टर रहेगी । हमारे क्षेत्र में दो स्कूल है फुलारी स्कूल में 7 में 2 ही महिला मास्टर है और 5 जेंट्स हैं । हमारे यहां असनी स्कूल तो हम कहेंगे मंत्री जी से कि सब कोई की बात सुनकर इनको मिला है और जवाब देते जाते हैं, लेकिन इसपर गौर करने का है कि हमारे यहां विवाद होता है 8वां, 9वां, 10वां की लड़कियों को, भाजपा के लोग से कहेंगे हम कि हल्ला नहीं करें और सुन लें हमारी बात । इसलिए क्योंकि जब 9वां, 10वां की लड़की को कहीं क्रियाकर्म के लिए जाना पड़ता है तब वह क्या कहेगी जेंट्स मास्टर से इसलिए हम कहेंगे कि सभी जगह महिला मास्टर होना चाहिए । यही हमारी गुजारिश है । सर, दो-चार हमारा सुझाव है इसको सुन लिया जाय । सुझाव यही है कि हमारे यहां मैट्रिक में लड़का लोग तो फैल हो गया । हमने मास्टर से पूछा है कि नियम क्या है भाई तो वे कहते हैं कि पहला से 9वां तक परीक्षा नहीं लेना है तब पास कैसे करेगा ? तब पास करेगा पूछकर लिखे, नहीं लिखे पास कर देना है। यह सब समस्या है कि गरीब का लड़का हमारा पढ़ता है सरकारी स्कूल में और धनिक का लड़का पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट में तिमाही, छमाही सब परीक्षा होती है लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में परीक्षा नहीं होती है, इसमें परीक्षा होना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अरूण कुमार : जी सर ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-71(श्री सरोज यादव)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर ने अपने पत्रांक-896, दिनांक-29.07.16 द्वारा सूचित किया है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा, बड़हारा, कोईलवर आदि प्रखंडों में शिक्षक नियोजन में किसी तरह के अनियमितता का मामला संज्ञान में नहीं आने की सूचना दी गयी है । इस संबंध में ज्ञापांक-1171, दिनांक-01.08.16 के द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, आज से पांच महीना पहले इस मामले को इसी सदन में मैंने उठाया था और आपके ही द्वारा कहा गया था मैंने पूरे साक्ष्य के साथ इस मामले को शिक्षक नियोजन का जो मामला था-2003, 2006, 2008 और 2010 और 2012 का मामला, पूरे पत्र के साथ, पे फिक्शेसन के साथ और स्टेटमेंट के साथ अनियमितता पायी गयी थी और मैंने पूरा कागजात शिक्षा मंत्री महोदय को दिया, मगर आज तक उसपर

इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है, बल्कि डी0इ0ओ0 ने मुझसे कहा कि आपने विधान सभा में मेरे खिलाफ शिक्षक नियोजन पर मुद्दा उठाया है मैं आपके उपर मानहानि का...

अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है सरोज जी, प्रश्न पूछिए ।

श्री सरोज यादव : सर, उसी से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं । हमारे भोजपुर जिला के प्रभारी डी0इ0ओ0 ने कहा कि आपने जो विधान सभा में मामला उठाया है मैं आपके उपर मानहानि का केस करूँगा । मेरे साथ बदतमीजी किया गया । मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखित दिया, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं कार्रवाई करूँगा, मगर अध्यक्ष महोदय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया और आज शिक्षक नियोजन में भारी अनियमितता पायी गयी है और आज भी भोजपुर के 14 ब्लॉक में पैसे की वसूली की जा रही है ।

क्रमशः

टर्न–5/अशोक/02.08.2016/

श्री सरोज यादव : क्रमशः अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ खानापूर्त्ति की जा रही है ।

अध्यक्ष : ठीक, आप बैठ जाइये ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चहता हूँ ,यह ठीक है, ठीक है, हर बार, कब तक इस तरह से चलेगा, मुझे जवाब बतला दिया जाय, क्या हमलोग चक्कर काटते रहें, शिक्षा की नियोजन की बातें महोदय, बता रहे आपसे कि 2003 से ही किसी ब्लाक में शिक्षा नियोजन का लेटर, 21 शिक्षक का नियोजन हुआ और 40 शिक्षक का पेमेंट वसूली की जा रही है ।

अध्यक्ष सरोज जी, आप केवल बोलियेगा या सुनियेगा भी । आपको जो कहना था कह चुके, आपने जो प्रश्न पूछा, मंत्री जी खड़े हुये थे, आप चुप होकर बैठिये तो ।

श्री सरोज यादव : मैं बैठता हूँ, मुझे बताया जाय ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हमने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 896 दिनांक 29.07.16 द्वारा सूचित किया है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत बरहरा आदि प्रखण्डों में शिक्षक नियोजन का कोई भी अनियमितता का मामला संज्ञान में नहीं है । डी.ई.ओ. के रिपोर्ट के बाद हमने पत्रांक संख्या–1071 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा डी.ई.ओ की जो रिपोर्ट है, उसके सत्यापन के लिए कलक्टर को लिखा है कि यह जो डी.ई.ओ की रिपोर्ट है वह सत्य है या इसमें कुछ गड़बड़ी है। डी.एम. की रिपोर्ट आने के बाद यदि डी.एम. कहते हैं कि यहां–यहां गड़बड़ी है, तो डी.ई.ओ. पर कार्रवाई करेंगे हमें जो शिकायत आई, हमने

उसकी जांच कराई, डी.एम. की रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे । अगर उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होंगे तो डी.ई.ओ. पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, महोदय ।

अध्यक्ष : देख रहे हैं कैसे करते हैं, प्रमोद जी बोलने ही नहीं देते हैं नेता, विरोधी दल को ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : ऐसी बात नहीं है महोदय । महोदय, शिक्षा विभाग में....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, सुनिये क्या सवाल आ रहा है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में टॉपर घोटाला, इसके बाद शिक्षक नियोजन घोटाला....

अध्यक्ष : अभी भोजपुर का मामला है, टॉपर वाला मामला नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : मै कह रहा हूँ कि टॉपर घोटाला, शिक्षक नियोजन घोटाला, इस सरकार में, घोटाले की सरकार है और जिस तरह बिहार में शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : यह हमारे समय का मामला नहीं है, जब आप सरकार में थे उस समय का मामला है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि शिक्षक नियोजन में जो घोटाला हुआ है, माननीय मंत्री ने कहा है कि डी.एम. का जवाब आया है, महोदय सच्चाई यह है महोदय, शिक्षा घोटाला की बात आई है, माननीय मंत्री ने डी.एम. से सवाल का जवाब मांगा था, डी.एम. ने जवाब भेजा है, डी.एम. ने जवाब जो भेजा वह जवाब डी.ई.ओ. का जवाब है, इसलिए कि डी.एम. ने डी.ई.ओ. को जवाब के लिए भेजा होगा, जो डी.ई.ओ. भ्रष्टाचार में शामिल होगा वह क्या रिपोर्ट देगा ? तो विधान सभा की समिति बनाकर सरकार जांच करने की घोषणा करे ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, विषय बड़ा गंभीर है, माननीय सदस्य जब प्रश्न कर रहे थे और माननीय मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया है, जवाब में उन्हों कहा कि डी.ई.ओ. ने रिपोर्ट भेजी है और डी.ई.ओ. के रिपोर्ट से मंत्री जी सहमत नहीं हुये जैसा उन्होंने कहा है, उन्होंने यह भी कहा, 1 अगस्त को महोदय, 1 अगस्त, जब यह प्रश्न आया होगा तब उनके घ्यान में आया होगा, 1 अगस्त को डी.एम. को पत्र लिखा है । महोदय, यह प्रक्रिया तो हो गई, महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, माननीय सदस्य ने अगर किसी अधिकारी के खिलाफ प्रश्न किया है, वो अधिकारी अगर माननीय विधायक को धमकी देता है महोदय, यह पूरे सदन की गरिमा का सवाल है और आप महोदय हमारे संरक्षक है, अगर

विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों के कारण किसी विधायक के ऊपर कोई अधिकारी धमकी देने का काम करता है तो महोदय इसकी जांच होनी चाहिए, और महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यह ज्वलंत विषय है, जांच करिये, गड़बड़ की जांच करिये, करेंगे भी, मुझे विश्वास है, यह जो महत्वपूर्ण विषय है, इसकी सर्वदलीय जांच होनी चाहिए, कमिटी बनाइये और विधायक को अगर कोई अधिकारी धमकी देता है तो अविलम्ब उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सदन की गरिमा रहे, विधायकों का विशेषाधिकार सुरक्षित रहे ।

अध्यक्ष : एक मिनट । माननीय सदस्यगण, कभी कभी गंभीर बातों को भी हम अगर हल्के में ले लेंगे, इससे भी सदन प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है । अगर माननीय सदस्य को किसी अधिकारी ने धमकी दी है और उससे माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा का या उनके विशेषाधिकार का या सदन के किसी अधिकार का हनन होता है तो इसकी सूचना किसी तारांकित प्रश्न के पूरक के माध्यम से नहीं दी जाती है, उसकी भी निर्धारित प्रक्रिया है । अगर आप ही इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में इस तरह से उठायेंगे तब फिर इसका निराकरण कैसे होगा ? इसलिए अगर किसी माननीय सदस्य के साथ कोई अधिकारी विशेषाधिकार का हनन करता है या सदन या माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के साथ या उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है तो उसकी प्रक्रिया निर्धारित है । उस निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी माननीय सदस्य आयेंगे तो आसन या हम जरूर उसको देखेंगे और किसी पदाधिकारी को, किसी माननीय सदन की तो बातें छोड़ दीजिए, किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा से या उनके विशेषाधिकार से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, यह स्पष्ट है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, पहली बार जीत कर आये हैं, पूरे कार्य संचालन नियमावली से परिचित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस सदस्य ने आपके समक्ष, सदन के समक्ष जो विषय उठाया है आप उसका सीधा संज्ञान लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए ।

अध्यक्ष : मैंने अपने नियमन में साफ कहा है नंद किशोर बाबू कि यह विषय इस तरीके से उठाने का नहीं है, किसी तारांकित प्रश्न के पूरक प्रश्न पर कोई विशेषाधिकार हनन की बात नहीं की जाती है, उसके लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया से आयेंगे तो जरूर आसन देखेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-72(श्री राम विलास पासवान)

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : घोटाला का क्या हुआ ?

अध्यक्ष : नंद किशोर बाबू ने कहा कि घोटाला छोड़ दीजिए । उन्होंने कहा कि घोटाला छोड़ दीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अधिकारी विधायकों को धमकी दे, उसको आप कहियेगा कि प्रक्रिया में आइये तो प्रक्रिया में तीन महीना लगेगा, आज सदन चल रहा है, सदन से घोषण होना चाहिए, उसको ससपेंड किया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, ऐसे नहीं होता है, नहीं होगा । यह नहीं हो सकता है । वे सूचना लिखकर देंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : उसको ससपेन्ड किया जाय, उस अधिकारी ने विधायका को अपमानित करने का काम किया है । विधायकों को अपमानित करने का काम किया है ।

(इस अवसर भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य विपक्ष पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, आप हमलोगों के कस्टोडियन हैं ।

अध्यक्ष : मैंने कह दिया है, माननीय सदस्य इसकी सूचना देंगे तो मैं जरूर देखूंगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-72(श्री राम विलास पासवान)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : कुर्मा मध्य विद्यालय के पंचायत कुर्मा में उच्च विद्यालय धरौरा अवस्थित है ।

राजगॉव राजी मध्य विद्यालय के पंचायत राजगॉव राजी में स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय गोखला मिशन अवस्थित है ।

महादेव टिकर मध्य विद्यालय के पंचायत रिफातपुर सिमानपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय टिकर अवस्थित है ।

विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 05.07.13 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना मध्य विद्यालय के उत्क्रमण का प्रावधान है ।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलीक में अन्य प्रश्नाधीन मध्य विद्यालयों के उत्क्रमण पर विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, दिनांक 24 फरवरी को हमारी गाड़ी को रोक कर बईज्जत किया गया गया, आधा घंटा डिटेन किया जाता है ।

अध्यक्ष : कहां पर ?

श्री नारायण प्रसाद : देवरिया के पास । महोदय, इस संबंध में आपको लिख कर भी दिया है।

(व्यवधान)

टर्न-6/ज्योति

02-08-2016

(इस अवसर पर माननीय सदस्य,श्री नारायण प्रसाद, कुछ कहते हुए सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : ठीक है । एस0पी0 जवाब देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । श्री नारायण प्रसाद जी, अभी तो आपका प्रश्न था, पुकारे थे, तब थे नहीं । लेकिन यह बात कहने कहाँ से आ गए ? ठीक है, आपके मामले को मैं देखूँगा, आप अपनी सीट पर जाईये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद अपनी सीट पर वापस गये)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 72 (श्री राम विलास पासवान)</u> क्रमशः

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से आग्रह है कि दियारा क्षेत्र पड़ता है । मंत्री जी से आग्रह है कि दियारा क्षेत्र पड़ता है और 4-5 कि0मी0 में उच्च विद्यालय नहीं है तो कृपा करके उच्च विद्यालय का दर्जा देने की कृपा करें । नियम भी है कि एक-एक पंचायत में एक उच्च विद्यालय हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 73 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 1-वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-06/वि0 9-55 /2008-514 दिनॉक 03-04-2013 के कंडिका (क) में प्रावधान है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम आधा एकड़ (50 डिसमिल) भूमि देने वाले भूमिदाता के नाम पर अथवा उनके द्वारा इच्छित व्यक्ति के नाम पर मध्य विद्यालय का नाम रखा जायगा यदि पूर्व से वह विद्यालय किसी के नाम पर न हो । उक्त माप से कम भूमि देने वाले का नाम विद्यालय के मुख्य द्वार के बगल में शिलापट्ट पर अंकित किया जाएगा ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि श्री शिव शंकर प्रसाद के द्वारा दान दी गई भूमि 20 डिसमिल है । अतः विभागीय प्रावधान के अनुरुप उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्रतापपुर

के मुख्य द्वार के बगल में शिलापट्ट पर भूमिदाता श्री शिव शंकर प्रसाद का नाम अंकित कर लगा दिया गया है ।

3- उत्तर उपरोक्त कंडिका में सन्निहित है ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, ये जो श्री शिव शंकर प्रसाद जी हैं, साधारण व्यक्ति हैं और जिस समय जमीन दान दिए थे, उस समय प्रावधान था कि जो व्यक्ति विद्यालय के नाम 20 डिसमील जमीन देंगे उनके नाम पर विद्यालय किया जयेगा । महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न खण्ड 2 में है महोदय, दिनॉक 5 अगस्त 2010 को 20 डिसमील जमीन दिया है महोदय, किंतु उनके नाम पर विद्यालय का नामकरण अबतक नहीं किया गया है महोदय, जिस समय दान दिया गया था उस समय 20 ही डिसमिल का सरकार ने प्रावधान किया था उसी हिसाब से उन्होंने दिया है, सरकार ने अबतक नहीं किया इसलिए श्री शिवशंकर प्रसाद जिम्मेवार नहीं है इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है जब उन्होंने जमीन दिया था उनका नामकरण होना चाहिए । कबतक सरकार प्राावधान के अनुसार उनका नामकरण करेगी हम स्पष्ट जानना चाहते हैं ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : पहले दिए थे इसका उल्लेख अभी हमारे पास नहीं है हम माननीय विधायक से बात कर लेते हैं, अगर पहले दिए होंगे, प्रावधान होगा, करने लायक है हमारे नोटिफिकेशन से पहले इन्होंने दान कर दिया, जब 20 ही डिसमील का प्रावधान था तो इसको हमलोग कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : नहीं महोदय, यह कह रहे हैं कि इनके पास होगा तब लेकिन सरकार के पास है, सरकार द्वारा जारी किया गया सर्कुलर और कह रहे हैं कि इनके पास होगा ।

अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि अभी उपलब्ध नहीं है, इसको देखवा लेंगें । अगर वह प्रावधान के अधीन है तो उसको करेंगें । वही तो कह रहे हैं ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि कबतक इसको देखवा कर और संबंधित व्यक्ति के नाम से विद्यालय का नामकरण करेंगे ?

अध्यक्ष : एक महीने में देखवा लेंगे ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : समय-सीमा बतायें अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : एक महीने में आपसे बात करके देखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 74 (श्री महबूब आलम)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने अपने पत्रांक 61 दिनॉक 28-07-16 द्वारा सूचित किया है कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का नया भवन विद्यालय को हस्तगत करा दिया गया है ।

उन्होंने पत्रांक-397 दिनॉक - 29-07-16 द्वारा संबंधित विद्यालय प्रधान को विद्यालय विकास कोष से नियमानुसार उपस्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया है ।

श्री महबूब आलम: महोदय, भवन बनकर तैयार है और एक किलोमीटर की करीब दूरी है और उस उच्च विद्यालय में बच्चों का हुजूम हो जाता है, उसके मैदान के प्रांगण में भी सब बच्चे जुट जाते हैं इसे तुरत किया जाय, मंत्री जी आश्वासन दें, एक समय-सीमा तय हो।

श्री अशोक चौधरी : क्या चाह रहे हैं बताईये ?

श्री महबूब आलम : हम चाहते हैं कि कन्या विद्यालय की जो छात्राओं की पढ़ाई लिखाई संयुक्त रुप से बारसोई उच्च विद्यालय में चल रही है, कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय भवन बनकर बिल्कुल तैयार है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : जवाब तो दिया ।

श्री महबूब आलम : उसे एक महीना के अंदर, 15 दिनों के अंदर ।

श्री अशोक चौधरी : जवाब सुनिये न । जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने अपने पत्रांक 61 दिनॉक 28-078-16 द्वारा सूचित किया है कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का नया भवन विद्यालय को हस्तगत करा दिया गया है । उन्होंने पत्रांक 397 दिनॉक 29-07-16 द्वारा संबंधित विद्यालय प्रधान को विद्यालय विकास कोष से नियमानुसार उपस्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दे दिया है।

श्री महबूब आलम : गलत बयानी है । महोदय, गलत सूचना है । मैं बारसोई से आता हूँ गलत सूचना है ।

अध्यक्ष : महबूब जी, माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसको ठीक से आपने सुना न ? इन्होंने कहा और आपने तिथि भी नहीं सुनी । इन्होंने कहा कि भवन तैयार है, विभाग के अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक को 29-07-16 को, डेट तो आपने सुना नहीं, 29-07-16 का मतलब होता है तीन दिन पहले यह तो आपने सुना नहीं, वह डेट बोले ।

श्री महबूब आलम : तेज गति से बोले इसलिए सुने नहीं ।

अध्यक्ष : आप संतुष्ट हो जाईये कि आपके प्रश्न का ही असर है कि विद्यालय प्रबंधन को निदेश दे दिया गया है कि आप अपने भवन में चले जाईये ।

श्री महबूब आलम : धन्यवाद महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 75 (श्री संजीव चौरसिया)</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2001 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की परिसमाप्ति के फलस्वरुप इस योजना अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों की छंटनी कर दी गई थी । कालांतर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में इनका समायोजन संकल्प संख्या - 582 दिनॉक 20-05-2005 में

निर्धारित शर्त्तों के आलोक में विभिन्न विभागों में समतुल्य स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर कर लिया गया ।

बिहार पेंशन नियम 103 (डी0) के तहत स्थापना में घटौती के कारण पद का उठाया जाना या नौकरी छूटने पर सेवा के क्रम में भंग होने पर नियमित सेवा के अंतर्गत माने जाने का प्रावधान है, परन्तु प्रस्तुत मामला इससे सर्वथा भिन्न है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा वाद संख्या - 20780/2010 में पारित आदेश के आलोक में वर्ष 1992-98 की छंटनी अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ सांकेतिक की गयी है ।

छंटनी अवधि वर्ष 2001-06 तक की सेवा विनियमन संबंधी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 संख्या-12031/2007 एवं 12032/2007 के अंतर्गत विचाराधीन था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02-03-2016 को पारित आदेश द्वारा विभाग के पक्ष में Allowed कर दिया है । जिसके कारण वर्ष 2001-06 की छंटनी अवधि का विनियोजन विभाग द्वारा किया जाना समीचीन नहीं है ।

3- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति कंडिका 1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री संजीव चौरसिया : माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर्विस उनका मानते हैं कि नहीं, काउन्ट करते हैं कि नहीं जो समायोजन हुआ था जो स्वीकृत पद के अंतर्गत छटनी भी हुआ था तो जो आपने बताया कि पेंशन अधिनियम 103 (डी0) के अंतर्गत तो उनके सर्विस को मानते हैं कि नहीं कि सर्विस में उनकी कंटीन्यूटी थी ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : खण्ड-1 में स्पष्ट रुप से कहा है कि ''बिहार पेंशन नियम 103 (डी0) के तहत स्थापना में घटौती के कारण पद का उठाया जाना या नौकरी छूटने पर सेवा के क्रम में भंग होने पर नियमित सेवा के अंतर्गत माने जाने का प्रावधान है, परंतु प्रस्तुत मामला सर्वथा भिन्न है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने और्डर पास कर दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

जिन प्रश्नों का उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

टर्न–7/ 02.08.16/विजय ।

कार्यस्थगन–सूचना

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 2 अगस्त, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्तान की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो निम्न प्रकार है–

श्री ललन पासवान, स0वि0स0, श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0, श्री विद्या सागर केशरी,स0वि0स0, श्रीमती भागीरथी देवी, स0वि0स0, श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0, श्री डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0, श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0, श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0, श्री श्यामबाबू प्रसाद, स0वि0स0, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह,स0वि0स0, श्री राणा रणधीर, स0वि0स0 ।

क्रम संख्या–12 निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त हुआ है ।

आज सदन में राजकीय विधेयक का व्यवस्थापन का कार्यक्रम का निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपर्युक्त सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष: अब शून्यकाल में आप ही लोग का है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सबसे अधिक महादलित पर घटना घटी है । पिछले साल 7 हजार 874 महादलितों पर घटना घटी और साथ ही साथ महादलित बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि सरकार जो टेकनिकल पढ़ाई में दे रही थी, उस राशि को घटाकर 1 लाख 5 हजार के बजाय 15 हजार करने का काम किया है । जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे उनके सामने पढ़ाई का संकट आ गया है, बच्चे वापस आ गए हैं । महोदय, एक ओर जहां इस राज्य में दलितों को दबंगों के द्वारा पिटाई की जा रही है और पानी मांगने पर पेशाब पिलाया जा रहा है। एक मुजफ्फरपुर के पारू की घटना है और पेशाब पिलाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

महोदय, मनीगाछी में महिला को सरेआम नंगा कर दंबगों के द्वारा पीटा जाता है । किशनगंज और दरभंगा में लगातार महोदय घटना घटती है ।

अध्यक्ष: शून्यकाल । माननीय सदस्य, श्री राज कुमार राय ।

श्री राज कुमार राय: महोदय, राज्य के सभी वित्त रहित इंटर कॉलेजों के कर्मी को वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 का अनुदान राशि नहीं दिये जाने से कर्मियों में भूखमरी की समस्या हो गयी है ।

अत: अतिशीघ्र अनुदान राशि निर्गत हेतु सरकार से आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री मुन्द्रिका सिंह यादव ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: महोदय, श्री बासुदेव यादव, ग्राम- मोहनपुर, थाना- परसविगहा, जिला- जहानाबाद के घर में दिनांक 29.07.12 की रात्रि में आग लग जाने के कारण पूरा कीता जलकर खाक हो गया । घर में रखा सारा सामान जल गया ।

इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीड़ित व्यक्ति को सरकार से तत्काल राहत एवं गृह क्षतिपूर्त्ति की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदय, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान राज्यों में नि:शक्त जनों को क्रमश: 4, 5 एवं 6 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है । बिहार में भी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 6 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सुबोध राय ।

श्री सुबोध राय: महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज श्रावणी मेला में कांवरिया एवं श्रद्धालुओं को सुविधा हेतु अजगैबीनाथ मन्दिर, प्रखंड कार्यालय परिसर एवं नारदपुल दुर्गास्थान के निकट पर्याप्त रौशनी के लिए मैं सरकार से हाईमास्ट लाइट लगाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री ललन पासवान ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री जिवेश कुमार ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: मा0 सदस्या, श्रीमती भागीरथी देवी ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री मो0 नवाज आलम ।

श्री मो0 नवाज आलम: महोदय, भोजपुर जिला के आरा सदर में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी अपने कार्यालय से गायब रहते हैं जिससे आमजनों एवं सरकार का कार्य प्रभावित है । अतएव सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री अमित कुमार ।

श्री अमित कुमार: महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी सदर अस्पताल में निशक्त जांच की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण गूंगा, बहरा अन्य को विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है । अतएव सदर अस्पताल में निशक्त जांच की व्यवस्था अविलंब सुनिश्चित कराई जाय ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री आनंद शंकर सिंह ।

श्री आनंद शंकर सिंह: महोदय, औरंगाबाद मुख्यालय में विद्युत कनीय अभियंता, मनोज कुमार एवं अमरेश कुमार द्वारा ट्रांसफारमर बदलने एवं विद्युत विपत्र में सुधार हेतु आम जनता से पैसा मांगने की शिकायत मिली । जब वरीय पदाधिकारियों को सूचित करने की बात की तो उन्होंने मुझसे दुर्व्यवहार किया एवं मुझपर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी । इनके विरूद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शेरघाटी, डोभी एवं आमस में विद्युत सब स्टेशन के कमी के कारण विद्युत आपूर्त्ति में कठिनाई होती है ।

अत: शेरघाटी में सगाही के निकट मोजहमा, डोभी में- भेलवा एवं आमस के सिहुली में विद्युत सब स्टेशन बनाने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित मंगरपाल, कित्ता चौहत्तर पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं स्वरभरवा पंचायतों के गंगा एवं सोन नदी के कटाव से कई गांव नदी के आगोश में समाती जा रही है । सरकार उक्त वर्णित पंचायतों के गांवों को कटाव से बचाने हेतु अतिशीघ्र कटाव निरोधक कार्य करावे ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री विद्या सागर केशरी ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, डा0 सी0एन0 गुप्ता ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: महोदय, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जो अपनी पन्द्रह सूत्री मांगों की पूर्त्ति हेतु वर्तमान में आंदोलित है, की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आंदोलन को समाप्त कराने की दिशा में अविलंब पहल करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्षः मा0 सदस्य, श्री कृष्ण कुमार ऋषि ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्षः मा0 सदस्य, श्री रामप्रीत पासवान ।

(नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्षः मा0 सदस्य, श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलमः महोदय, प्रत्येक साल की तरह इस साल भी कटिहार, सीमांचल व उत्तर बिहार का अधिकांश इलाका बाढ़ की चपेट में है । हमारी मांग है कि युद्ध स्तर पर राहत अभियान चलाया जाए और विस्थापितों के पुनर्वास की ठोस व्यवस्था तथा बाढ़ से जिन लोगों का सबकुछ लूट गया है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाय ।

टर्नः 08/कृष्ण/02.08.2016

(व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिले के बड़हरा, शाहपुर, बिहियां, उदवंतनगर, कोईलवर प्रखंडों में सूखाड़ की स्थिति है और तमाम सरकारी नलकूप बंद हैं ।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल सरकारी नलकूपों को चालू कराते हुये राजवाहों के निचले छोर तक पानी पहुंचाया जाय और डीजल सबसिडी की राशि किसानों को उपलब्ध करायी जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(नहीं पढ़ा गया।)

(व्यवधान)

डा0राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के केशरिया, संग्रामपुर प्रखंड के सुन्दरापुर, ढेकहा, वैरिया, कढ़ान, खजुरिया, डुमरिया, भवानीपुर, मंगलापुर, पूछरिया पंचायत के लोग बाढ़ के कहर से परेशान हैं । इन्हें तत्काल राहत एवं फसल क्षतिपूर्त्ति के लिये सरकार से मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण–सूचना एवं उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री यदुवंश कुमार यादव, अरूण कुमार एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, बालिका समृद्धि योजना अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार की 1 से 12 वर्ष की बच्चियों, जिनका जन्म दिनांक 01.01.1997 के बाद हुआ है, के लिये चलाई गयी योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर बालिका को एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाना था, किन्तु अभी तक उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

अतः उक्त योजना का अनुश्रवण एवं अनुमान्य राशि का भुगतान कराने के लिये हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्रीमती कुमार मंजू वर्मा : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी।)

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति राजकीय आश्वासन समिति ।

(प्रतिवेदन नहीं रखा गया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सभापति,निवेदन समिति ।

(प्रतिवेदन नहीं रखा गया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न–09/राजेश/020816

अन्तराल के बाद

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

अध्यक्ष:- अब कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य ।

राजकीय विधेयक ।

" बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, २०१६ "

अध्यक्ष:- माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव ।

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खण्डश: लेता हूँ । खण्ड–2 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खण्ड–2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड–2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः- प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u> ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य ।

श्री प्रेम कुमार, नेताा विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया गया है और सरकार ने चिंता की है कि जो लोकायुक्त का पद है और सदस्यों के जो पद हैं, विभिन्न कारणों से समय पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है तो सरकार का प्रस्ताव अच्छा है। हमारा आग्रह के साथ यही सुझाव है और सरकार से आग्रह है कि सरकार एक समय सीमा तय करे और समय सीमा के अंदर में इन पदों पर नियुक्ति कर ली जाय।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को मालूम है और ये जो नया लोकायुक्त का कानून बना था उसमें पूरे सदन की सहमति थी और बिहार में लोकायुक्त का जो कानून बना, विधेयक बना, वह एक अपने आप में अलग किस्म का है। इसमें लोकायुक्त के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । उन दिनों आप जानते हैं बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में चल रहा था और बिहार में हमलोगों ने सभी पहलुओं पर गौर किया और उसमें हमलोगों ने तय किया कि हमलोग इसके चयन की प्रक्रिया से पूरे तौर पर अलग रहेंगे । इसलिए मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य नहीं हैं और जो हमलोगों ने विधेयक बनाया उसमें बिहार विधान परिषद् के सभापति, बिहार विधान

सभा के अध्यक्ष और जो आउटगोइंग लोकायुक्त हैं, वे इसके एक सदस्य और इसके अलावे माननीय पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत दो जो वरीय जज हैं, न्यायाधीश हैं उनको वे मनोनीत करते हैं और इसी कमिटी के द्वारा चयन किया जाता है और यह कमिटी इसके लिए सर्च कमिटी बनाती है और उसके बाद जब प्रस्ताव आता है तो चयन समिति उसपर विचार करती है और चयन समिति जो निर्णय लेती है उसपर महामहिम राज्यपाल अपना अंतिम मुहर लगाते हैं । इस प्रकार से सरकार की कोई भूमिका नहीं है । जो विधेयक में प्रावधान था उस प्रावधान के अन्तर्गत यह था कि पहले से जो लोकायुक्त का कानून है उसके मुताबिक लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है वह पद समाप्त वो उनका कार्यकाल पहले लोकायुक्त का समाप्त होने के बाद नये लोकायुक्त का चयन हो गया था और पदभार उन्होंने ग्रहण किया हुआ है । इस बीच में नया कानून बना तो नये कानून में यह भी प्रावधान था कि पूर्व से जो कार्यरत लोकायुक्त हैं, अपने कार्यावधि तक वे नये कानून के अन्तर्गत जो लोकायुक्त होंगे और अब जो नया कानून बना है लोकायुक्त उसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं । जिसमें से दो जुडिशियरी से ही आयेंगे, तो उस हिसाब से जो लोकायुक्त के अध्यक्ष थे उस पद पर जो पहले के लोकायुक्त चयनित थे, कार्यरत थे, वे अध्यक्ष के पद पर रहे, लेकिन दो सदस्यों का चयन होना था उसमें काफी समय लगा और दो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया संभवतः 2014 में शुरू हुई और अब जाकर 2016 में उनका चयन हुआ और उनका शपथ ग्रहण हुआ, उन्होंने कार्यभार संभाला, तब यह महसूस किया गया कि जो लोकायुक्त के अध्यक्ष के पद पर जो आसीन हैं अब वे सेवानिवृत्त होनेवाले हैं और चयन की प्रक्रिया शुरू भी होगी तो इतने कम समय में चयन होना संभव नहीं है, कोई हमलोगों के हाथ में नहीं है । यह एक प्रकार से इन्डीपेंडेंट बॉडी है। सभापति, बिहार विधान परिषद् उसके संयोजक हैं। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष उसके सदस्य हैं और आउटगोइंग लोकायुक्त और उसके अलावे पटना हाईकोर्ट के दो वरीय जज, न्यायाधीश उसके सदस्य हैं तो इसका चयन करने में स्वाभाविक रूप से वक्त लगेगा तो वक्त लगेगा तो इसका मतलब है कि अध्यक्ष का पद खाली हो जायेगा तो इसलिए हमलोगों ने यह मुनासिब समझा कि चयन की प्रक्रिया में समय लगता है जो कि स्वाभाविक है तो वैसी परिस्थिति में इसमें संशोधन किया जाय और जो लोकायुक्त का कानून है उसके मुताबिक इनकी कार्यावधि 5 वर्ष की है और आयु की सीमा अधिकतम 70 वर्ष की है। जो पदधारक हैं उनके लिए तो इसमें संशोधन मात्र यही किया गया है कि 70 वर्ष की आयु की अधिसीमा के अन्तर्गत जो कार्यरत लोकायुक्त के अध्यक्ष या सदस्य सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं और नये लोकायुक्त का या सदस्य लोकायुक्त का चयन नहीं हुआ है तब तक वे कार्यरत रहेंगे 70 वर्ष की अवधि तक या उसके पहले चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब तक । यही मात्र संशोधन इसलिए किया गया है ताकि लोकायुक्त की जो

संस्था है वह कार्यरत रहे, उसमें कभी कोई गतिरोध नहीं आए, कोई रिक्ति नहीं हो जाए और यह प्रक्रिया चलती रहे तो सरकार तो पूरे तौर पर अलग है- फैसीलीटेटर की भूमिका निभाती है सामान्य प्रशासन विभाग, लेकिन बाकी सारे कार्यों में मीटिंग की तारीख करना, उसमें चर्चा करना या जो भी वे निर्णय लेते हैं उस निर्णय के बाद तो फायनली जब गवर्नर साहब के यहां जाता है तो विभाग के थ्रू आता है और गवर्नर साहब के यहां उसको संप्रेषित किया जाता है यथावत्- चयन समिति जिनका चयन करती है। यह सब पूरी प्रक्रिया में अगर कुछ समय लगता है तो पद खाली न रह जाय इसलिए यह संशोधन किया गया है कि 70 वर्ष की आयु की जो अधिसीमा है उसके अन्तर्गत उनका उस अधिसीमा के अन्तर्गत है, लेकिन कार्यकाल खत्म हो गया है और नये का चयन नहीं हुआ है तब तक वे कार्य करते रहेंगे । यह बिलकुल जनहित में है और लोकायुक्त के उपर जो जिम्मेवारी सौंप दी गयी है, पूरे राज्य में एक पारदर्शिता रहे शासन में और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति लोकायुक्त के जॉच की परिधि में आता है- मुख्यमंत्री से लेकर नीचे ग्राम पंचायत के मुखिया तक सभी उनके जॉच की परिधि में आते हैं । दायरा लंबा है, चाहे वह अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों तमाम लोक सेवक उनके दायरे में आते हैं। इसलिए यह पद रिक्त न रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए यह एक संशोधन का प्रस्ताव आया है । इसलिए मैं सदन से ही दरख्वास्त करूँगा कि इसे पारित किया जाय।

टर्न-10/आजाद/02.08.2016

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक,2016 सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : इसके लिए आसन सदन का शुक्रगुजार है ।

बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री,गृह विभाग ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं इसे खंडश: लेता हूँ ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 स्वीकृत हो । ''

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, जिस निरसन विधेयक का प्रस्ताव आया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ । यह अच्छी चीज है । महोदय, आप जानते हैं कि जब देश गुलाम था तो उस समय के बहुत सारे कानून आज भी इस देश में लागू हैं और समय बीतने के बाद बहुत सारे कानून की प्रासंगिकता खतम हो गई है । एक अच्छी पहल आपने देखा होगा, सभी सरकारें करती रहती है और खासकर के जब से नई केन्द्र सरकार बनी है, तब से ऐसे सैकड़ों कानून निरस्त किये गये हैं, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने राज्य में भी ऐसे कानून है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उनके बारे में भी आने वाले दिनों में प्रस्ताव लाये, ज्यादा बेहतर होगा । यह राज्य के लिए बेहतर होगा और न्याय व्यवस्था के लिए बेहतर होगा । इस सुझाव के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : महोदय, यह जो विधेयक आया है, यह पहले 1870 में एक कानून बना था चौकीदारों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और पोषण का उपबंध करने के लिए ग्राम चौकीदारी अधिनियम 1870 लागू किया गया था और फिर पंचायतों को भी मनोनीत करने का अधिकार जिला अधिकारी को था, फिर बंगाल ग्राम चौकीदार अधिनियम 1871

के द्वारा कुछ 1870 के कानून में संशोधन किये गये थे, जिसमें मुख्य रूप से कर की वसूली मासिक आधार के बदले त्रैमासिक आधार पर की जाती थी, यानी कर की वसूली करके चौकीदार का पेमेन्ट, यह सब था । आप सब जानते हैं, सबों को मालूम है । 1990 से राज्य सरकार ने चौकीदारों को सरकारी सेवक का दर्जा दे दिया है । अब राज्य कोष से उनका पेमेन्ट होता है और दूसरी तरफ जहां तक पंचायतों का सवाल है, अब पंचायतें एक निर्वाचित संस्था है लेकिन फिर भी कानून पड़ा हुआ था । ठीक कह रहे थे माननीय नन्दकिशोर यादव जी, बहुत सारे कानून इस तरह के पड़े हुए हैं, इन्होंने कहा, हमलोग साथ ही थे तो राज्य विधि आयोग की अनुशंसा पर अनेक ऐसे कानूनों को हमलोगों ने रिपील किया और यह एक्सरसाईज चलता रहता है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के और जितने कानून हैं , मुझे तो आश्चर्य हुआ इसको तो और पहले ही हो जाना चाहिए था । चूँकि यह विरोधाभासी था, इस कानून का अब कोई मतलब नहीं है । अब चौकीदार का पेमेन्ट करने के लिए कहीं से कोई टैक्स वसूलने का मतलब नहीं है । अब पंचायतों को जिला अधिकारी को नहीं करना है, अब इसके लिए कानून बन गये हैं। लेकिन नये कानून बन गये और वह लागू हो गये । उसके आधार पर काम हो रहा है लेकिन रेकोर्ड में पुराना कानून पड़ा हुआ है । इसलिए यह उचित समझा गया, यह ध्यान में बात आयी तो यह मुनासिब समझा गया कि इस कानून को निरसित कर दिया जाय, इसलिए इसका निरसन किया जा रहा है । लेकिन मैं इस बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ कि इस प्रकार के अन्य भी कई कानून हो सकते हैं जो आज अप्रासंगिक हो गये हैं या नये कानूनों के सामने भी विरोधाभासी हो सकते हैं । इसलिए हमलोग भी चाहते हैं कि इसपर विचार मंथन करें और राज्य विधि आयोग इसपर पूरे तौर पर विचार करके और भी कानूनों को देख लें । ऐसे भी केन्द्र सरकार के द्वारा पहल की जाती है और केन्द्र सरकार के द्वारा भी सुझाव दिया जाता है । उसके आधार पर भी हमलोग पुराने ऐसे कानूनों को निरसित करते हैं । यह सिलसिला रहता है जारी लेकिन यह बिल्कुल ठीक है और सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों दृष्टिकोण से यह उपयुक्त है और इसका सभी लोगों ने समर्थन किया है । इसलिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ और सदन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसे हम सब पारित करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 स्वीकृत हो । ''

विपक्ष में कोई नहीं हैं,

अत: ''बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसगंत नहीं रह गये हैं) विधेयक,2016 सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2016 इसको पहले ले लिया जाय । माननीय मंत्री जी को वहां पर ध्यानाकर्षण का जवाब देना है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2016

अध्यक्ष : बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2016 लिया जा रहा है । माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनमुति दी गई ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2016 पर विचार हो। ''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आप मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो । ''

अध्यक्ष महोदय, हमने बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2016 पर सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है । अध्यक्ष महादेय, ये जो विश्वविद्यालय बनाने का आधार लिये हैं प्रमंडलीय स्तर पर, हरेक प्रमंडल में इन्होंने विश्वविद्यालय का आधार बनाया है । जब इसको आधार बनाया गया है अध्यक्ष महोदय तो फिर मुंगेर प्रमंडल पर क्यों विचार नहीं हुआ ? मुंगेर प्रमंडल में भी विश्वविद्यालय होना चाहिए, मुंगेर प्रमंडल

तो ऐतिहासिक स्थल है महोदय और मुंगेर देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अन्दर उसकी पहचान है तो फिर मुंगेर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो, इसके लिए हमने सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है ।

टर्न-10(ए)/सत्येन्द्र/2-8-16

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे ।''

अध्यक्ष महोदय, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया है गंभीरता से लेने के लिए संयुक्त प्रवर समिति के पास इसको भेजना आवश्यक है महोदय ताकि कोई क्षेत्र बंचित नहीं रह जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2016 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक,2016 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि

''खंड- 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।''

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय,सरकार ने जो विधेयक लाया है उसमें अच्छी बात है कि उन्होंने मगध विश्वविद्यालय को विभाजित कर के पाटलीपुत्र एक अलग विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है और पूर्णिया में भी विश्वविद्यालय बनेगा, ऐसा प्रस्ताव किया गया है । साथ साथ यह भी प्रावधान है कि तीन विश्वविद्यालय जो झारखंड में चले गये हैं उनके विलोपन का भी प्रस्ताव इसमें है । महोदय, इस प्रस्ताव पर कोई हमारी असहमति नहीं है लेकिन मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ महोदय, यहां जितने भी प्रमंडल हैं संयोग से पूर्णियां विश्वविद्यालय खोलने के सरकार के निर्णय के बाद बिहार में एक प्रमंडल को छोड़कर के, मुंगेर प्रमंडल को छोड़कर के अब सभी प्रमंडलों में विश्वविद्यालय हो जायेंगे। महोदय, कई प्रमंडलों में तो एक से अधिक विश्वविद्यालय हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अब मुंगेर को छोड़कर के सभी प्रमंडलों में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जायेगी । महोदय, यह एक अच्छी बात है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से वे उसी मुंगेर प्रमंडल से आते हैं, एक और मंत्री सरकार के जो आपके बगल में बैठते हैं वो अभी नहीं हैं वो भी उसी प्रमंडल से आते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ महोदय, मुंगेर के बारे में आप जानते हैं यह बहुत पुराना जिला है, बहुत पुराना प्रमंडल भी है लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में मुंगेर छूट गया है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले

दिनों में सरकार जरूर इस बात पर विचार करे क्योंकि केवल मुंगेर प्रमंडल छूट जाता है। हम चाहते हैं कि कोई प्रमंडल मुख्यालय विश्वविद्यालय से बंचित नहीं हो इसलिए आने वाले दिनों में मुंगेर में भी विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सरकार करे, हम यह आग्रह करना चाहते हैं । दूसरा महोदय जो मैं कहना चाहता हूॅ, निवेदन करना चाहता हूॅ कि अभी आपने जो घोषणा किया है पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय और पूर्णियां विश्वविद्यालय के बारे में मैं इसमें भी आपसे निवेदन करना चाहता हूॅ, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय का नामाकरण बहुत बढ़िया हैं, मैं इसका समर्थन करता हूॅ लेकिन एक विशेष अवसर है, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ । महोदय, आप जानते हैं जनवरी, 2017 में गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज का 350 जन्म दिन है । इसी पाटलीपुत्र की घरती पर उनका जन्म हुआ था यह हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है, मेरा आपसे आग्रह यह है कि पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय का नामकरण बिना पाटलीपुत्र को हटाये हुए गुरू गोबिन्द सिंह पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय अगर करने का काम करें तो उस महापुरूष के प्रति भी हम श्रद्धांजलि दे सकेंगे, साथ –साथ इस पाटलीपुत्र की धरती पर जन्म लेने वाले उस महापुरूष को हम स्मरण भी कर सकेंगे यही आपसे मेरा आग्रह है । दूसरा आग्रह है पूर्णियां के बारे में, पूर्णिया विश्वविद्यालय आपने नामकरण किया गया है। आप जानते हैं कि पूर्णियां प्रमंडल में एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे जिससे आप भी प्रेरणा लेते रहते हैं, आप भी उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि पूर्णियां विश्वविद्यालय का नाम फनीश्वर नाथ रेणु के नाम पर फनीश्वर नाथ रेणु पूर्णिया विश्वविद्यालय किया जाय ताकि आपके विश्वविद्यालय की स्थापना का जो उद्देश्य है शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हैं ही, साथ ही महापुरूषों का नाम जुड़ने से लोगों को और भी प्रेरणा मिलेगी । यह मैं तीन आग्रह करना चाहता हूॅ और इन तीन आग्रह के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूॅ, इस विश्वास के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जब स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपनी बात माननीय मंत्री रखेंगे तो इसे स्वीकार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं लोकहित में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं बी0 एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को विभाजित कर पटना एवं पूर्णियां में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है । साथ ही बिहार के पुनर्गठन एवं झारखंड राज्य की स्थापना के फलस्वरूप झारखंड में पड़ने वाले विश्वविद्यालय को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के उपबंधों से विलोपित किया जाना आवश्यक है । इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 3(1) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 तैयार किया गया है । मगध विश्वविद्यालय

को विभाजित कर पटना में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय का मुख्यालय पटना में होगा जिसे पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा और उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता पटना प्रमंडल (पटना विश्वविद्यालय के अधीन पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालंदा जिला होगी । बी0 एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को विभाजित कर पूर्णियां में स्थापित होने वाले नये विश्वविद्यालय का मुख्यालय पूर्णियां में होगा और इसे पूर्णियां विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा इसकी अधिकारिता सम्पूर्ण पूर्णियां प्रमंडल होगी । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश में कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गयी है । आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ-साथ यहां पर कई ऐसे शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया है और उसी के क्रम में जो चिरपरिलक्षित हमलोगों का डिमांड था यहां पर बी0आई0टी0, मेसरा का ब्रांच खोला गया, आई0आई0टी0 को यहां पर लाया गया तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थाओं का निर्माण महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी निरंतर प्रयासरत है और पटना विश्वविद्यालय और पूर्णियां विश्वविद्यालय की स्थापना चिरप्रतीक्षित लोगों का जो डिमांड था उसके अनुरूप यह किया गया है लोगों का और माननीय विधायकों का यह डिमांड रहता था इसलिए इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और मैं समझता हूँ कि यह जनता के हित में है, लोगों के हित में है इसलिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी नये शिक्षण संस्थाओं का निर्माण जारी रहेगा । इसी उम्मीद के साथ हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाय ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है...

श्री नन्द किशोर यादवः अध्यक्ष महोदय, सरकार की राय क्या है, यह तो मंत्री जी बतला दें। सुझाव पर राय तो दे दीजिये।

टर्न-11/अंजनी/02.08.2016

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।'

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन)विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन)विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार करने की अनुमति दी जाये ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत सर्वश्री माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री विद्या सागर केशरी के विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, आप अपना संशोधन मूभ करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूँगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन)विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विचार हो ।''

महोदय, इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं । युक्तिसंगत, अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, इस उद्देश्य में ही लिखा हुआ है और यह उद्देश्य से ही भटक रहा है । इस विधेयक का उद्देश्य युक्तिसंगत नहीं है । इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि राज्य में महंगाई बढ़ाना, राज्य में गरीब जनता पर कर का बोझ लादना और अध्यक्ष महोदय, चार माह पहले ही जब बजट सत्र इसी साल का था तो इसी विधेयक को फिर से संशोधन करके जनता पर कर का बोझ लादा गया था ।

क्या अध्यक्ष महोदय, शराब के एक्साइज डयूटी में जो कमी आयी है तो क्या सरकार गरीबों के, आम जनता से इसकी क्षतिपूर्त्ति करना चाहती है और जो नहीं पीने वाले हैं, उनपर सरकार कर का बोझ लाद रही है । यह विधेयक जनविरोधी है, गरीबविरोधी है । महोदय, इस विधेयक से आम जनता की जो रोजमर्रा की वस्तुऐं हैं, उसपर महंगाई बढ़ने वाली है। दवा पर, साईकिल पर, रिक्शा पर, बच्चों के दूध के बोटलों पर, मेडिकल उपकरणों पर, मिटटी तेल पर, माचिस पर, मसाला पर तो यह सब पर जो वैट में संशोधन आया है, मकान बनानेवाले वस्तुओं पर कर का बोझ लादा जा रहा है महोदय । महोदय, अभी केन्द्र सरकार जी0एस0टी0 लाने वाली है और राज्य सरकार का जी0एस0टी0 पर समर्थन है तो क्या जरूरी था कि तीन –चार महीनों में फिर से इस वैट की दरों में संशोधन करने का । क्या जरूरी था कि आम जनता के, गरीबों के पेट से निवाला छीनने का, महंगाई का बोझ आम जनता पर लादने का ? राज्य सरकार बराबर कहती है कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, वह गरीब विरोधी नीतियां हैं, जिसके कारण राज्य में बहुत ज्यादे महंगाई बढ रही है । महोदय, यह केन्द्र सरकार के नीतियों के कारण नहीं बढ़ रही है महोदय । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इसे लागू करने के पहले इसके सिद्धांत पर सरकार विमर्श करे और विस्तृत रूप से इस वैट को, जो मूल्यवर्द्धित संशोधन विधेयक लाया गया है, उसको वापस लेकर पहले सिद्धांत पर विचार करे ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूँगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि –

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 31 अक्टूबर,2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं, जो आम लोगों को पता नहीं है । अभी चार महीने के अन्दर फिर से संशोधन ले आया गया है, इसलिए इसके जो प्रावधान हैं और इसमें सरकार ने जो प्रावधान किये हैं कि कार्य संवेदकों द्वारा उसके कटौती पर 10 प्रतिशत करारोपण का प्रावधान है, फिर संशोधन करके कटौती को 12 प्रतिशत से 8 प्रतिशत किया गया और विभिन्न वस्तुओं पर कर बढ़ाया गया । मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी इसे जनता के बीच परिचारित किया जाय और जनता

इस पर जो आपत्ति दे, उस आपत्ति पर सरकार विचार करे और उसके बाद इसे सदन में लाया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि-

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-3 में तीन संशोधन है, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एंव श्री जिवेश कुमार के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी, आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूँगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''इस विधेयक के खंड-3 के उप खंड (1) को विलोपित किया जाय।''

अध्यक्ष महोदय, पहले के जो खंड-1 में प्रावधान किया गया था कि धारा-14 के उप धारा -1 के खंड-ख में जो 5 प्रतिशत है, जो वैट लगता था महोदय, अब सरकार उसको 6 प्रतिशत बढ़ा रही है अर्थात् 20 प्रतिशत जो टैक्स है, सरकार उसको पांच प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर रही है । इस 5 प्रतिशत् में जिन-जिन वस्तुओं का उल्लेख है, उसमें रोजाना उपभोग की वस्तुयें हैं, मसलन दवा, बर्तन, चश्मा, हौजरी, मसाला, माचिस, मोमबत्ती, बच्चों की पेंसिल, कौपी, कंघी, दवा, केरोसिन, अल्युमुनियम प्रोडक्ट, बालू, गिट्टी, धागा, सुपारी, कहने का मतलब है कि रोजाना उपभोग की जो वस्तुयें हैं, जो हम और आप और सारी जनता उसका उपयोग करती है, उसमे 20 प्रतिशत यानि 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत वैट सरकार लागू कर रही है, अर्थात् 20 प्रतिशत

जो कर का दायरा है, आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है महोदय । इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको 5 प्रतिशत ही रहने दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि –

''विधेयक के खंड–3 के उप खंड(1) को विलोपित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न–12/शंभु/02.08.16

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : जी, मूव करेंगे ।

महोदय,मैं प्रस्ताव करता करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड–3 के उप खण्ड–(5) को विलोपित किया जाय।''

महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि विधेयक के खण्ड–3 के उप खण्ड–(5) में जो कर का दायरा बढ़ाया गया है इसको सरकार विलोपित करे और पूर्व से जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को रहने दे। अध्यक्ष महोदय, इसी में मैं कह रहा था कि पिछले बजट सत्र में साढ़े 13 से साढ़े 14 प्रतिशत लाया गया था, मात्र चार महीना पहले और फिर इसको तुरंत 15 प्रतिशत कर दिया जा रहा है– कहीं भी पूरे देश में 15 प्रतिशत नहीं है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि यह सरकार जो शराब नहीं पीनेवाले हैं उनसे भी शराब की क्षतिपूर्ति कर रही है। इसीलिए इसको साढ़े 14 प्रतिशत चार महीना पहले किया है और फिर तुरंत 15 प्रतिशत कर रहे हैं । इसीलिए इसको वही रहने दिया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड–3 के उप खण्ड–(5) को विलोपित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार खेमका : जी, मूव करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड–3 को विलोपित किया जाय।''

अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी चार से पांच महीने के बीच में टैक्स बढ़ाने का काम हुआ है, विभिन्न चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया। जो कपड़ा है उसपर टैक्स बढ़ा, जो खाने की सामग्री है उसपर टैक्स बढ़ाया गया और इसके बाद पुनः यह संशोधन बिल लाकर के बिहार की जनता को, बिहार के उपभोक्ता को खाद्य सामग्री जो उनके खाने की जरूरी चीज है उसपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। टैक्स बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन

बार-बार इस तरह टैक्स बढ़ाना ये निश्चितरूपेण बिहार की जनता पर बोझ है। जो खाद्यान्न सामग्री है जिसमें कि गरीब गुरबा पर भी यह टैक्स बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो मकान बनाने की सामग्री है, जो हम भवन बनाने के लिए सामग्री का व्यवहार कर रहे हैं उसपर भी टैक्स बढ़ाने की बात है- 4 से 5 प्रतिशत, 5 से 6- 14 को साढ़े 14 से 15 इस तरह से लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है । इसलिए महोदय, मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से मंत्री जी से कि खण्ड-3 को विलोपित करें ताकि बिहार की जनता पर टैक्स का भार कम पड़ सके।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-3 को विलोपित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खण्ड-4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खण्ड-6 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड-6 के उप खण्ड(1) में प्रस्तावित परन्तुक की दूसरी पंक्ति में अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''5'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, इस पर जो भुगतेय कर 10 प्रतिशत के दर से संग्रहित किया जायेगा। मेरा यह प्रस्ताव है कि एक बार 10 प्रतिशत करने के जगह पर 5 प्रतिशत ही इसको सरकार रखे। इसलिए इसपर मैं संशोधन लाया हूँ और माननीय मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है कि इसको 5 प्रतिशत ही रहने दिया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-6 के उप खण्ड(1) में प्रस्तावित परन्तुक की दूसरी पंक्ति में अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''5'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खण्ड-7 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड-7 की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''आठ प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द समूह ''साढ़े पांच प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, यह जो ठेकेदारों से इसपर जो वैट की कटौती की दर 5 फीसदी थी उसी को बढ़ाकर सरकार 8 प्रतिशत कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो हमलोगों का मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना या अन्य जो सरकारी योजनाओं से काम होता है, उसमें जो 5 प्रतिशत कटता है स्रोत पर उसी पर 8 प्रतिशत सरकार कर रही है- निश्चित रूप से काम कम होगा क्योंकि महंगाई बढ़ जायेगी और सभी चीज में सरकार टैक्स लाद रही है जनता पर इसीलिए इसको साढ़े 5 प्रतिशत- .5 प्रतिशत अगर सरकार की जिद है कि हम बढ़ायेंगे ही तो इसको साढ़े 5 प्रतिशत सरकार कर ले 8 प्रतिशत की जगह। यही मेरा संशोधन है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-7 की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''आठ प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द समूह ''साढ़े पांच प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-7 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-7 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री।

....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा और माननीय मंत्री महोदय ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 लाने का काम किया और ठीक ही हमारे माननीय विधायकों ने कहा है कि चार महीने के अंदर में ही.....क्रमशः ।

टर्न–13/अशोक/ 02.08.2016

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : क्रमशः बिहार पहला राज्य है, दोबारा टैक्स लगाया जा रहा है । महोदय, जहां बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं, पिछड़ा राज्य है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले की आबादी इस राज्य में काफी है और सरकार के द्वारा इस विधेयक की कंडिका–3 की धारा –14 में टैक्स 5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत कर दिया गया है । इसी प्रकार कंडिका 4 के जगह पर पांच प्रतिशत किया गया है, और कंडिका–14 में 14.5 प्रतिशत के जगह पर महोदय 15 प्रतिशत किया गया है। महेदय सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, निश्चित तौर पर एक तो महोदय करों की चोरी हो रही है बड़े पैमाने पर, इस सरकार का डिपार्टमेंट, सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में करो की चोरी, कर वंचना हो रही है और सरकार उन मामलों के प्रति गंभीर नहीं है । मैं महोदय, उदाहरण देना चाहता हूँ पूर्णिया के दलकोला जहां चौकी है महोदय, डोभी पर बड़े पैमाने पर आसाम, बंगाल से जो गाड़ियां आ रही है और पूर्व में जो टैक्स निर्धारित है उस

टैक्स में बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है । उस चोरी को रोकने में, उस कर वंचना को रोकने में सरकार पूरी तरह फेल है, इनका जो विभाग, सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट और विभिन्न विभाग इनका जो है इस लूट में सम्मलित है, समय समय पर इन बातों का उजगर भी होते रहा है महोदय, इसी सदन में महोदय, कई बार सवाल आये हैं महोदय कि सरकार करों की चोरी रोकने में पूरी तरह विफल है, सरकार विफलता के कारण करों की चोरी हो रही है । वास्तव में उन करों की प्राप्ति सरकार ठीक तरीके से करे तो मैं समझता हूॅ कर बढ़ाने की जरूरत नहीं है महोदय । साथ ही कहना चाहते हैं कि पड़ोसी जो राज्य है, बगल में पश्चिम बंगाल है, झारखण्ड , दिल्ली और उत्तर प्रदेश और आये दिन देखा जाता है कि जिन चीजों का टैक्स महोदय बिहार में अधिक हेाता है, अन्य राज्यों में जब टैक्स कम होता हैं वहां से सामान लाने का काम करते हैं । हमारा आग्रह होगा कि सरकार एक बार निश्चित तौर पर इन बातों को पता लगानाा चाहिए, अध्ययन करना चाहिए जो पड़ीसी हमारे राज्य हैं, वहां जो टैक्स लगाये गये हैं, वे टैक्स क्या हैं ? मतलब और तब ज्यादा बेहतर होता महोदय । इस तरह से पहली हम देंख रहे हैं महोदय ओर सरकार के इस विधेयक के माध्यम से जो प्रयास महोदय किया जा रहा है, हम जानते हैं कि महुमत आपका है, आप बहुमत हैं, आप विधयेक को पास करा लेंगे, राज्य के करोड़ो जनता पर जो बोझ पड़ेगा खास करके गरीब लोगों पर, गरीब गुरबा लोगों पर और आपने आम जनता की बुंनियादी जरूरते जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, आपने रोटी पर भी टैक्स लगाया है, कपड़ा पर भी लगाया है और आपने मकान बनाने वाले जो वस्तुयें हैं उन पर भी टैक्स लगाया है । आम जनता की जो बुनियादी जरूरते हैं रोटी, कपड़ा और मकान सरकार से आग्रह करेंगे निश्चित तौर पर माननीय विधायकों ने विधेयक में विभिन्न संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, और जनमत जानने का हमारा भी आग्रह होगा आपके माध्यम से सरकार से कि निश्चित तौर पर बिहार मूल्यवर्द्धित कर संशोधन विधेयक, 2016 जो लाया गया है, इसको जनमत जानने के लिए निश्चित तौर पर सरकार प्रचारित करे और तब सही जानकारी मिलेगी, बिना राज्य की जनता को विश्वास में लिये हुये लगातार टैक्स बढ़ा कर सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही हैं । और भारत सरकार लगातार पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम कम कर रही है और अन्य वस्तुओं पर भारत सरकार के प्रयास से सीमेंट का दाम कम गया है लोहे का दाम कम गया है, लोहा जहां आपको महोदय पांच हजार क्वींटल बिक रहा था आज वह 2600 रूपया क्वींटल हो गया है, सीमेंट का दर घट गया है, तो भारत सरकार के प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास है कि महंगाई पर रोक लगे । राज्य सरकार के प्रयास से महंगाई आयेगी । इस राज्य की बड़ी आबादी पर इसका प्रभाव

पड़ेगा, मेरा आग्रह है कि निश्चित तौर पर माननीय मंत्री इस पर पुनर्विचार करें और फिर इसे आम जनता को जानने के लिए, आम जनता के बीच प्रचारित करने में सहयोग करें तब सही इनको जानकारी मिल पायेगी और जल्दी जल्दी और हड़बड़ी में जिस तरह से विधेयक को लाया जा रहा है महोदय, बिना कोई अध्ययन, बिना जानकारी के और जनता पर इस तरह से जजीया टैक्स के माध्यम से जो थोपने का प्रयास किया जा रहा है, इसका हम महोदय विरोध करते हैं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि सरावगी साहब सचमुच में पूरे विधयेक को पढ़ने का काम न करके अखबार में जो छपी हुई बातें हैं, उसी पर वे अपना संशोधन दिये हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, एक फिल्म का गाना है झूठ बोले कौआ काटे । सच बोलियेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जिन लोगों ने संशोधन दिया, जिन लोगों ने संशोधन दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिक्र किया आपने कि भारत सरकार इसको घटा रही है, अध्यक्ष महोदय, सातवें वेतन आयोग की अनुशंसायें आई हैं उसके आधार पर राज्य सरकार को कम से कम 7-8 हजार करोड़ रूपये खर्च करने होंगे नम्बर-1 । केन्द्रीय योजनायें हैं, सेन्ट्रल एसिसटेंस वाली, 60 और 40 का उन्होंने कर दिया है, अभी ये लोग जिक्र करते थे कि 14वें वित्त आयोग का तो वर्ल्ड बैंक ने पूरा क्लेयर कर दिया है कि बिहार को इससे घाटा हुआ है । फिर बी.आर.जे.एफ. की छः सात हजार करोड़ जो बाकी है उसका भी कोई अता पता नहीं है तो महोदय क्या करें? इन गरीब गुरबा के यहां जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, गरीबों की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की और गठबन्धन की सात निश्चय योजनायें हैं वह तो आम जनता के लिए है, आम आदमी के लिए है, गांव गवई, गली कुच्ची में रहने वालों के लिए है तो खाने पीने, अघाने वालों पर कुछ प्रतिशत कर स्वाभाविक तौर पर पहले राज्य सरकार करती है और महोदय, यू तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है भारत में कर का दायरा, पारामीटर सबसे कम है और बिहार में तो और भी कम है तो विभिन्न राज्यों का अध्ययन कर के, विभिन्न राज्यों के समरूप और कुछ चीजों में तो कंफ्यूजन है अभी तो एक्ट के बाद रूल्स बनना है, जिनका जिक्र किया है गरीबों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा लेकिन जो राज्य में सिम्पुल लोग, जब जी.डी.पी. लगातार पिछले आठ, दस बारह वर्षो से हमारा ग्रोथ रेट हमारा बहुत अधिक है तो लोगों की क्षमता बढ़ी है, स्वभाविक है कर का दायरा भी बढ़ाया जायेगा ताकि और पैसे इकट्ठे किये जायं और इन पैसे का उपयोग गरीब के, राज्य के हित में ये होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम योजना को बंद कर दें अब मान लीजिए मेरे पास बिजली

विभाग है, 90 प्रतिशत भारत सरकार देती थी दस प्रतिशत राज्य को लगता था अब 60 वह देगी और 40 हमको लगाना पड़ेगा तो पैसे कहां से आयेंगे तो गांव गवई में जो सड़कों की योजना, बिजली की योजना, स्कूल बनाने का काम , मास्टरों की बहाली करने का काम ,गरीबों के हित में ...

श्री नंद किशोर यादव : महोदय मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हूँ । माननीय मंत्री महोदय, विद्वान हैं और जानकार हैं । बात कह रहे थे लेकिन...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इतने जानकार हैं कि आप प्वायंट ऑफ आर्डर बोलने के लिए भी उन्हीं से इजाजत लेते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव :महोदय, पुरानी मित्रता है तो कुछ तो निभाना ही पड़ता है न । महोदय, लेकिन कुछ बात छिपाने का काम करते हैं । महेादय, उनको यह भी पता है कि उनकी पार्टी जी.एस. टी. के पक्ष में है और उनको यह भी पता है कि जी.एस.टी. कल शायद राज्य सभा में या लोक सभा में पेश होने वाला है । और यह मालूम है जी.एस.टी. अगर पास हो गया तो बिहार जैसे राज्य को 7-8 हजार करोड़ रूपया अधिक मिलेगा यह भी उनको पता है । महोदय, जिस पैसे की कमी की बात कह रहे हैं , इस पैसे की कमी के आधार पर टैक्स लगाने की बात कह रहे हैं, उन्हें पर्याप्त पैसा मिलने वाला है, इनको तो चाहिए था कि ये अपनी सहयोगी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी पर दवाब बनाते कि वे भी जी.एस.टी. का समर्थन करें ताकि बिहार को लाभ हो, ये क्यों गरीब लोगों पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं ।

टर्न-14/ज्योति

02-08-2016

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, अब जी0एस0टी0 क्या है, समझने की जरुरत है केवल कह देने से, अखबार में पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा । जी0एस0टी0 जब पारित हो जायेगा मैं आपको बताऊं देश हित में सभी पार्टियां सहमत हैं । कल जी0एस0टी0 का बिल आ रहा है, वह अपनी जगह पर है लेकिन वह लागू होगा एक अप्रील से, इसका मतलब यह नहीं कि राज्य का अधिकार छिन जायेगा, कर लगाने का अधिकार राज्य को होगा और विभिन्न राज्य की भौगोलिक स्थितियॉं, विभिन्न राज्यों की योजना अलग अलग चीजें है जिसको करने के लिए कर ढांचा ऐक्चुअली लेजिस्लेचर का अधिकार क्षेत्र है उसमें कटौती नहीं होगा, हॉं, यह सच है कि बिहार मैनुफैक्चरिंग राज्य है नहीं, यहॉं कोई खाद खदान नहीं है कम्पलीटली हम कंज्यूमर स्टेट है तो हमारे यहॉं जो बाहर की चीजें बनकर आयेंगी तो हमारे यहॉं खपत ज्यादा होगी तो स्वाभाविक तौर पर जैसे बहुधा मजाक में मैं कहता हूँ कि माननीय नंद किशोर बाबू का जो क्षेत्र है, मनुष्य को छोड़कर सब चीज फैब्रीकेटेड हो जाता है तो है इसकी अपनी खासियत । सबसे अधिक टैक्स भी उन्हीं के

इलाके से आता है तो परेशानी होना स्वाभाविक है, अगर दरभंगा का मामला है तो स्वाभाविक है । अब कह रहे थे, प्रेम कुमार बाबू- पूर्णिया के माननीय सदस्य हैं ? क्या क्या पत्र लिख रहे हैं जिनका जिक्र कर रहे थे नेता- मैं खोलूं पोल ? आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेते जिन चीजों का जिक्र कर रहे थे । अब मैं इतना अमर्यादित नहीं हूँ, व्यक्तिगत पत्रों का जिक्र सदन में नहीं किए जाते तो महोदय, बहुत तरह की परेशानियाँ है लेकिन मुझे कहते हुए यह गर्व हुआ है कि 26.3 प्रतिशत हिन्दुस्तान में हाईएस्ट कर संग्रह का रेकर्ड बना जो अपने आप में बल्कि चार - पाँच राज्य के अफसर लोग आए और कहे कि कैसे कर रहे हैं लेकिन हम उसको और आगे करेंगे 17378 करोड़ को इस बार 22 हजार करोड़ करेंगे, इसमें चोरी को रोका जायेगा लेकिन किसी को परेशान नहीं किया जायेगा, किसी को तबाह नहीं किया जायेगा इसलिए कई तरह का विरोधाभास था और अफसर को डिसक्रिमिनेशन रहता था उसको भी कर्भ किया गया है, नहीं, यह होगा हमारा और एक साथ लोग दे देंगे इसलिए यह युक्तिसंगत बनाने के लिए और कानून के दायरे में थोड़ा पैसा भी बढ़े ताकि हमारी भरपाई हो यही उद्देश्य है महोदय, इसलिए और बहस न करते हुए इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है ..

श्री नंद किशोर यादव : विपक्ष में बहुमत है ।

(घंटी)

इस विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव को सदन के समक्ष एक बार फिर से रखता हूँ :

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : खड़े होकर मतदान करने की प्रकिया प्रारम्भ की जाय ।

(खड़े होकर मतदान की प्रकिया जारी)

अध्यक्ष : खड़े होकर मत विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है :

प्रस्ताव के पक्ष में -- 151

और

प्रस्ताव के विपक्ष में-- 51

अतः बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 - 51 के विरुद्ध 151 मतों से स्वीकृत हुआ ।

टर्न–15/ 02.08.16/विजय ।

"बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016"

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, उद्योग ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि,

" बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016" पर विचार हो ।

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा । क्या माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा: मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: कीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

कि "बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016" के सिद्धांत पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाया गया है उसमें बहुत ही शब्दों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि बिहार में निवेश एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने के लिए है । महोदय, सरकार की सोच बहुत अच्छी है । राज्य में उपलब्ध विपुल मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के उचित उपयोग कर नये उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार सृजन करने और राज्य की जनता के जीवन के स्तर में सुधार लाने हेतु बढ़ावा

मिलेगा । महोदय यही सदन है जहां बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए जो यहां पर बनाया गया था बिहार सिंगल विंडो अधिनियम,2006 उसमें भी शब्दों का जाल इसी तरह से परोसा गया था सदन को । महोदय बिहार में निवेश प्रोत्साहन और विकास के लिए सरकार कितना गंभीर है कि 2006 में सिंगल विंडो सिस्टम को लाया गया और 2016 में पुनः ये जो बिहार में निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जो बनाया जा रहा है महोदय उसमें ये कमिटी बना रहे हैं । आज हम जानना चाहते हैं कि राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार चिंतित है तो सिंगल विंडो सिस्टम में पदाधिकारियों का जो फौज लगाया गया था पूरे देश के अंदर इसका प्रचार प्रसार किया गया था क्या हुआ उसका, क्यों फेल कर गया महोदय ? क्यों बिहार के अंदर एक भी निवेशक नहीं आ सका ? सरकार क्या इसका जवाब आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी देंगे ? जानना चाहता है सदन कि आप नया गठन कर रहे हैं प्रधान सचिवों का फिर एक फौज उसमें लाया जा रहा है । उसमें सामाजिक कार्यकर्त्ता जो जन प्रतिनिधि हैं ।

क्रमशः

टर्न-16/कृष्ण/02.08.2016

श्री विजय कुमार सिन्हा : (क्रमशः) कृषि आधारित उद्योग के लिये बिहार के अंदर में जो एक चिन्ता और चिन्तन बना था, उसका क्या हुआ ? महोदय, सदन को यह जानने का अधिकार है, नया निवेश परिषद् का जो गठन किया गया, इस निवेश के लिये कौन-कौन से कार्य की कोई सोच है या वही पुराने अफसरों को ला कर के, नया शब्द ला कर के क्या उद्देश्य की पूर्त्ति होगी ? अगर सरकार इतनी गंभीर है, सरकार की अगर गंभीरता इतनी ही है कि बिहार में हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, बिहार में निवेश होने से यहां के लोगों का आमद का स्तर ऊंचा उठता, जीवन जीने का स्तर ऊंचा उठता तो 7 निश्चय में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ? क्यों नहीं उद्योग नीति को 7 निश्चय में सम्मिलित किया गया ? क्यों उसको छोड़ दिया गया ? उसके प्रति कितना गंभीर है यह सरकार, सदन यह जानना चाहता है । महोदय, अगर सरकार उद्योग नीति को सचमुच में जमीन पर उतारना चाहती है तो आधारभूत संरचना में क्या विकास किये हैं ? आधारभूत संरचना के लिये आज इनके पास क्या सोच है ? महोदय, गिरती हुई कानून-व्यवस्था से बिहार में निवेशक कैसे आयेंगे ? यह अपहरण का उद्योग चलेगा तो नया उद्योग कैसे स्थापित होगा ? आज बिहार के अंदर कई उद्योगपति आते हैं, उनका जमीन नहीं उपलब्ध कराते हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, यह डिबेट का विषय होना चाहिए । क्योंकि हम बिहार में औद्योगिक नीति में हम असफल हो रहे हैं । इसको सफल करने के लिये आप को डिबेट कराना चाहिए । सिर्फ सत्ता पक्ष के लिये नहीं, यह विपक्ष के लिये भी चिन्ता का विषय है ।

सत्ता और विपक्ष मिल करके हमारे बिहार में निवेश हो । हमको इसके लिये गंभीरता से सोचना है । इसके लिये महोदय आप डिबेट करावें, इतना गंभीर विषय है तो हम मांग करेंगे कि क्यों यहां निवेशक नहीं आता है, वह हर राज्य में जा रहा है, हर जगह निवेशक जा रहा है, उसे वहां संरक्षित किया जाता है, उसे वहां प्रोत्साहित किया जाता है उसे सारी सुविधायें दी जाती है, महोदय, हद तो तब हो गयी, पहले यहां जमीन की रजिस्ट्री कराया जाता था, उसमें शुल्क माफ था, लेकिन अब पहले आप रजिस्ट्री कराईयेगा तब शुल्क पर विचार होगा । पहले सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी बंद कर दिया गया तो महोदय, निवेशक को कैसे आकर्षित करेंगे ? क्या ये प्रधान सचिवों के जमात से आप निवेशक को आकर्षित कर लेंगे ? आप की गिरती हुई कानून-व्यवस्था पर कैसे भरोसा दिलायेंगे, जो करोड़ों रूपया यहां निवेश करेंगे । आपके अपहरण उद्योग पर कैसे लगाम लगेगा ? यह सदन जानना चाहता है । सिंगल विन्डो सिस्टम क्यों फेल किया ? उस पर जानकारी पहले सदन को दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चन्द्रसेन जी, वह सब बात आपके मंत्री बतायेंगे ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव लेता हूं । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया हैं। क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा : जी हां, मूव करूंगा । महोदय, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016 दिनांक 31 दिसंबर,2016 तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो । महोदय, यह सत्ता और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए । हम सदन के अंदर बैठे हैं । इसमें कितने उद्योगपति हैं, यह जानकारी नहीं है । लेकिन बहुत सारे बिहार के उद्योग पति जो अपना निवेश दूसरे राज्यों में किये हुये हैं । अगर हम जनमत जानने के लिये उनके पास जायेंगे तो उनकी अच्छी सलाह आयेगी । उनसे जो जानकारी प्राप्त होगी, सदन को बहुत ही सहुलियत होगी । महोदय, इसलिए हम आग्रह करेंगे, अब हमारे विद्वान मंत्री जी, हम उनसे सीखते हैं, लेकिन हमलोग जानना चाहते हैं, आप तो जानेवाले क्रम में हैं लेकिन आनेवाला जो क्रम है, उनको आप निवेशक को लाने के लिये कुछ मंत्र तो बता दें । जनता के बीच जनमत जानने का तंत्र तो बता दें । महोदय, यह सदन जानना चाहता है कि हमारे आनेवाला भावी पीढ़ी कैसे आद्योगिक नीति बना सके ?

महोदय, उद्योग के लिये एक और जानकारी दे दें, जनमत जानने के लिये बहुत आवश्यक है कि सरकार जिस-जिस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया, महोदय, उद्योग के लिये जमीन दिया गया, लेकिन उद्योग के बजाय वहां आवासीय मकान बन गया, वहां कॉमर्शियल कार्य हो रहा है, आपकी नीति क्यों फेल कर रही है, आप गंभीरता से विचार करें, मुंह छिपाने के बजाय सदन को बताने की जरूरत है, महोदय, यह हम आग्रह करेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016को दिनांक 31 दिसंबर,2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड 2 से 17 तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 से 17 तक इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 17 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूं । प्रभारी मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : माननीय नेता,प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय, सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक,2016 लाया गया,यह सरकार का अच्छा प्रयास है कि राज्य में उद्योग लगे । उद्योग लगने से सरकार की आय में बढ़ोत्तरी होगी, बेरोजगारी दूर होगी । महोदय, यह एक अच्छी पहल है । लेकिन महोदय, बिहार में जब से गठबंधन की सरकार बनी, तब से बिहार में अपराध का ग्राफ ऐसा बढ़ा, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ता जा रहा है । बढ़ते हुये अपराध का कारण मैं समझता हूं कि जो निवेश की संभावनायें थी, वह क्षीण दिख रही है । विगत वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा उद्योग लगाने के लिये, महोदय, जब हमलोग सरकार में थे, बिहार में जब एन0डी0ए0 की सरकार थी तो हमलोगों ने उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये जो नीति लाने का काम किया था, उसमें बड़े पैमाने पर बिहार में उद्योग लगे और उसके बाद इधर के दिनों में लगातार बढ़ते अपराध के कारण,क गिरती हुई कानून-व्यवस्था के कारण पलायन की स्थिति है । जो यहां उद्योग लगा रहे थे उनके सामने बड़ा संकट है । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार अच्छा प्रस्ताव लायी है, लेकिन जिस राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या होगी, महोदय, वहां पर लोग उद्योग नहीं लगाना चाहेंगे । दूसरी बात हम कहना चाहाते हैं कि सरकार के लाल फीताशाही के कारण मानपुर जो बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है, देश में कानपुर कपड़ों का मैनचेस्टर कहा जाता है । बिहार में मानपुर राज्य सरकार की लाल फीताशही के कारण 12 हजार पावर उद्योग और 2 हजार हैंडलूम उद्योग एक सप्ताह तक बंद रहा जिससे 50 हजार लोग प्रभावित हुये और राज्य की आर्थिक गतिविधि भी प्रभावित हुई । तो एक ओर सरकार उद्योग में निवेश के लिये प्रयास कर रही है, यह एक अच्छा प्रयास है लेकिन सरकार के लाल फीताशाही के कारण 12 हजार उद्योग एक सप्ताह तक बंद रहे और 50 हजार मजदूर प्रभावित हुये । हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आपने जो पूर्व में सुविधायें दी थी, उन सुविधाओं को आप समाप्त कर रहे हैं, अच्छी नीति थी, काफी आकर्षक था । देश में बिहार पहला राज्य था, जहां राज्य सरकार की जो औद्योगिक नीति थी उसकी पूरे देश में काफी प्रशंसा हो रही थी ।

क्रमश :

टर्न–17/राजेश/2.8.16

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल, क्रमशः- काफी निवेश हुआ है लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि सरकार वहॉ भी फेर बदल कर रही है, सुविधाओं के सवाल को खत्म करने जा रही है, उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जो आप सबसिडी देते हैं उद्योगों को लगाने के लिए, उसमें 20 फीसदी का सबसिडी है और 35 परसेंट फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर आप सबसिडी देते हैं, उसको आप समाप्त करने जा रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ जमीन की रजिस्ट्री पर जो स्टाम्प की सुविधा थी और जब जमीन का नेचर बदलेगा, उसपर जो सुविधा थी, उसको आप समाप्त करने जा रहे हैं, तो आने वाले समय में बिहार का जो नौजवान है, बिहार का जो युवा पीढ़ी है, वह चाहेगा कि बिहार में इन्डस्ट्रीज हम लगाये, तो वह लगा नहीं पायेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इन बिन्दुओं पर विचार करें और माननीय मंत्री महोदय को बताना भी चाहिए कि विगत पॉच वर्षों में कितने निवेश प्राप्त हुए और कितने उद्योग लगे और इस बीच में कितने उद्योग बंद हो गये और आज जो उद्योगों के पलायन की स्थिति है, वह काफी गंभीर है, राज्य के विकास के लिए उद्योगो का लगना बहुत ही जरुरी है और आपकी जो पहल है, जो प्रयास है कि सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से .....

(व्यवधान)

महोदय, अपहरण इस राज्य में महोदय विगत सात महीने में भाई वीरेन्द्र जी जो प्रखर हमारे माननीय सदस्य है,इनको इन्डस्ट्रीज में विश्वास नहीं है,इनको अपहरण पर विश्वास है महोदय और आज बिहार में उद्योग बंद हो रहा है और अपहरण उद्योग बढ़ रहा है, सरकार का जो प्रयास है, हम माननीय मंत्री जी से पुनः जानना चाहेंगे कि जो निवेश के प्रस्ताव आये थे, उसके क्या फलॉफल आये, सरकार का जो प्रयास है, उससे आने वाले समय में क्या आने वाले हैं, माननीय मंत्री जी अपने संबोधन में बताने का काम करेंगे ।

अध्यक्षः- माननीय मंत्री ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्रीः- महोदय, हम राज्य में .....(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः- महोदय, राजद के राज में अपहरण उद्योग नहीं चलता था बल्कि काम का उद्योग चलता था, काम कराने के लिए उद्योग लगाया जाता था, इसलिए इस शब्द को प्रोसिडिंग से निकाला जाय।

अध्यक्षः- अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे । माननीय मंत्री जी ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्रीः- महोदय, राज्य में निवेशकों को और आकर्षक बनाने के लिए और राज्य में समेकित औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सिंगल विंडो क्लीरिऐंस एक्ट जो 2006 में जो लागू किया गया है, हम उसको निरस्ती करते हुए राज्य के औद्योगिक वातावरण में पर्याप्त सुधार हुआ है, रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है और इन

दिनों महोदय भारत की सरकार ने भी ये जो डुईंग बिजनेस और स्टार्ट अप जैसी नीति लागू किये हैं, हमलोग भी लगातार समीक्षा करते रहे और 2006 की नीतियों में क्या खामियॉ हैं और कैसे इसको और सरलीकरण बनाया जाय, कैसे और इसको आकर्षित बनाया जाय, इन पहलुओं पर विचार के लिए हमलोग तरह-तरह तक स्तर पर गये, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि कोई राय नहीं लिया गया पब्लिक डोमेन में या उद्योगपतियों से, तो हमलोगों ने बिहार में बिहार इन्डस्ट्रीयल एशोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और निवेशकों से कई स्तर पर हमारी मीटिंग हुई और सारे लोगों से राय लेने के बाद जो 2006 की नीतियों में खामियॉ थीं, जिससे उद्योगपतियों को काफी परेशानियॉ हो रही थी, महोदय पहले यह था कि किसी विभाग से प्रत्येक विभाग में आपको जा करके अप्लाई करना है और उसमें आप जान रहे हैं कि उद्योग लगाने के लिए उससे संबंधित विभिन्न विभाग हैं, एक भूमि के लिए भूमि सुधार विभाग में जाना है, पर्यावरण विभाग से लेना है, बिजली विभाग से लेना है, वाणिज्यकर विभाग से लेना है, ऐसे तमाम विभागों के यहॉ आप अप्लाई करते थे बल्कि महीनों नहीं बल्कि सालों भर घूमना पड़ता था और वह क्लीयरिंग नहीं हो पाता था, जिसके वजह से हमारे यहॉ निवेशकों में जरुर कमी आयी और कोई भी पॉलिसी के बारे में यह कहना कि जब बनाये थे, तो इस बात को ध्यान में नहीं रखे तो देखिये कि कानून जब इम्प्लीमेंट होता है और इसलिए उसकी एक अवधि दी जाती है कि भाई इस अवधि तक इस कानून ने क्या काम किया, क्या इसमें से हमारा आउटपुट आया और क्या खामियॉ आयी, इन्हीं कारणों की वजह से एक अवधि जो बनायी जाती है, नई नीति जब बनायी जाती है, तो उन खामियों को दूर करके और एक आकर्षक नीति बनायी जाती है और सिर्फ यही कारण है कि 2006 के सिंगल क्लीयरेंस एक्ट को हमने करके बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016 हमने लाया है । महोदय यह क्या है, इसके सिर्फ मुख्य बिन्दु पर हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि पहले जो हमारे यहॉ 2006 की नीति बनायी गयी थी, उसमें कुछ बिन्दुओं को हम जिक्र कर देना चाहते हैं, आपको तमाम विभाागों के पास दौड़ना पड़ता था, जो अब इसमें नहीं है जिसको हमलोगों ने इसमें दूर किया है और आपने तमाम अप्लीकेशन जहॉ आपको कुछ नहीं देना है, केवल एक अप्लीकेशन देना है और एफिडेविट भी नहीं देना है,आपको सिर्फ सेल्फ एफिडेविट देना है और आप देंगे और एक निर्धारित समय में आपको यह मिल जायगी और यदि आपको निर्धारित समय पर नहीं मिलेगी, तो यह पहले की नीति में डीम्ड क्लीरिऐंस के लिए अलग से जो दिया जाता था, बनाया जाता था, उसमें सुनिश्चित किया गया है कि यदि उस निर्धारित समय के अंदर यदि यह क्लीरिऐंस नहीं होता है, तो यह डीम्ड क्लीयरेंस माना जायेगा और जिसका पुनर्विचार नहीं होगा और ऐसा करने वालों पर .....(व्यवधान)

महोदय, इसी पर हम कुछ प्रमुख बिन्दु आपके समक्ष रखना चाहते हैं । विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन किया जायेगा, जिसमें उद्योग, वित्त, वाणिज्यकर, पर्यावरण वन, उर्जा, श्रम संसाधन, नगर विकास एवं आवास, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव तथा राज्य सरकार के द्वारा नामित पॉच अन्य सदस्य के रुप में होंगे । महोदय, यह हमारे गठन का स्वरुप है । आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर, आप अभी पूछ रहे थे, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा सभी प्रस्तावों को अनुमोदित किया जायेगा अथवा उसपर उचित निर्णय लिया जायेगा। औद्योगिक विकास आयुक्त हमारे सचिवालय में गठन होगा महोदय और हमारे सचिवालय के प्रधान होंगे हमारे औद्योगिक विकास आयुक्त, साधारणतया वह प्रधान सचिव उद्योग विभाग के होंगे और उसमें सबंधित विभागों के प्रतिनिधि प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम करेंगे, सचिवालय द्वारा प्राप्त निवेशों के प्रस्ताव पर प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर पर्षद् के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा, यह टाईम बौंड किया गया है कि आपको 30 दिनों के अंदर आपको यह बाध्यकारी होगा, इन सारी चीजों का क्लीरिऐंस करने का । उद्योग स्थापना एवं उत्पादन आरंभ करने की तिथि के लिए आवश्यक क्लीयरिंग एवं अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन कौमन अप्लीकेशन फॉर्म में ऑन लाईन प्राप्त किया जायेगा, जो पहले नहीं था, पहले सभी विभागों में जाकर अप्लाई करना पड़ता था, हमने प्रयास किया है और पूर्णतः प्रयास किया है कि सिंगल विंडो क्लीरिऐंस सिस्टम का मतलब कि आप एक विंडो पर अप्लाई करो और जिस विंडों पर आप अप्लाई कर रहे हैं वही से आप रिसिभ कर रहे हैं, तो यह सिंगल विंडो सिस्टम का डिफिनिशन और परिभाषा को परिभाषित करता है। महोदय, कौमन अप्लीकेशन फार्म ऑनलाईन प्राप्त किया जायेगा और पर्षद् का सचिवालय यह सुनिश्चित करेगा कि सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुशंसा प्राप्ति के 30 दिनों अथवा विहित समय सीमा के भीतर इसके अधीन क्लीरिऐंस किया जाना हो, क्लीयरिंग का अनुमोदन निर्गत किया जाय । महोदय, सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुशंसा प्राप्ति के 30 दिनों अथवा विहित समय सीमा के अंदर क्लीरिऐंस नहीं दिये जाने की स्थिति में यह डीम्ड क्लीयरिंग माना जायेगा । ...क्रमशः...

टर्न-18/सत्येन्द्र/2-8-16

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री(क्रमशः) स्व-सत्यापन जिसको हम सेल्फ ऐफीडेविट कहते हैं, सेल्फ ऐफीडेविट के आधार पर क्लीयरिंग किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्लीयरिंग देने के उपरांत सत्यापन की व्यवस्था इसमें की गयी है । सत्यापन के आधार पर किसी तथ्य को गलत पाये जाने की स्थिति में यदि आपसे सेल्फ ऐफीडेविट कराया गया है और उसमें यदि गलत पाये गये किसी जांच के उपरांत, क्लीयरिंग होने के बाद तो उसमें

आपको आई0पी0सी0 की धारा 197 के तहत दंड का भी प्रावधान किया गया है । महोदय, पब्लिक ऑथरिटी के द्वारा समय सीमा के अन्दर क्लीयरिंग देने की स्थिति में प्रथम बार ऐसा होने पर 10 हजार रू0, पदाधिकारियों को भी 10 हजार रू0 का तथा द्वितीय बार इसके आगे के लिए 50 हजार रू0 के दंड का भी प्रावधान किया गया है । हम प्रचार प्रसार भी महोदय इसको करेंगे । विधिवत प्रचार-प्रसार करेंगे, प्रिंट मीडिया के अनुसार और हम इलेक्ट्रोनिक मीडिया से भी, इसको हम बाहर भी लायेंगे, रोड शो भी करेंगे, सेमिनार भी करेंगे, कुल मिलाजुलाकर महोदय यह विधेयक उद्यमियों के लिए हर दृष्टिकोण से उद्योग व्यवसाय को सुगम एवं सरल बनाने के लिए बना है और इसके लागू होने के उपरांत राज्य में उद्योग एवं व्यवसाय का एक नया वातावरण स्थापित होगा इसके फलस्वरूप राज्य में निरंतर पूंजीगत निवेश बढ़ेगा तथा राज्य के तीव्र समेकित औद्योगिक विकास होने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजन होगा । अतः आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि प्रस्तुत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक 2016 को सर्वसम्मति से पारित कर राज्य के चौमुखी औद्योगिक विकास की लक्ष्य को सुनिश्चित करने में अपना अमूल्य योगदान कर यश के भागी बने ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक 2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान(संशोधन)विधेयक,2016

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री,परिवहन विभाग ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्रीः महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान(संशोधन)विधेयक,2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान(संशोधन)विधेयक,2016 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री चन्द्रिका राय,मंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान(संशोधन)विधेयक, 2016 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष: बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य सर्वश्री संजय सरावगी,विजय कुमार सिन्हा,विजय कुमार खेमका एवं विद्या सागर केशरी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान(संशोधन)विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

अध्यक्ष महोदय बड़ी संख्या में सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है । बहुत बड़ी संख्या में लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है, उसी के लिए सरकार सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना करना चाहती है । इसमें जो राशि का, सुरक्षा निधि के जो राशि का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय उसके अनुसार एकमुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहनों से वाहन मूल्य का एक प्रतिशत या फिर प्रत्येक वाहन के वार्षिक कर का एक प्रतिशत और उसके बाद वही लोग जब वाहन खरीदेंगे या फिर वही जाकर लाईसेंस लेंगे तो लाईसेंस में भी विभिन्न अनुसूच -4 में स्लैब दिये गये हैं जो नौसुखिये की अनुज्ञप्ति में 50 रू0, 100रू0, 150रू0, 200रू0 फिर 500 रू0 लिये जायेंगे इससे सड़क सुरक्षा निधि का निर्माण होगा और कुछ मामूली अंशदान 10 प्रतिशत जो है इसमें सरकार भी देगी इसके अतिरिक्त और भी व्यवस्था इसमें की गयी है । अध्यक्ष महोदय, सरकार दुर्घटना रोकना चाहती है तो सरकार को और अंशदान देना चाहिए । जितने भी सड़कें बनती है सड़कों का जो टेंडर निकलता है, टेंडर से जो इतना राशि सरकार लेती है उससे भी इसमें व्यवस्था करेगी महोदय, जितने भी बिहार में सड़कें बनती है और लोग जो उसमें टेंडर भरते हैं टेंडर शुल्क के नाम पर करोड़ों रू0 सरकार लेती है वो उसमें डाले सरकार और जो यह इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु होती है एक्सीडेंट से अध्यक्ष महोदय, और एकल मृत्यु में कोई भी मुआवजे का प्रावधान नहीं है। कोई मॉ बेटा है और उसके एक संतान की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ठीक है जो सामुहिक मौत होती है उसके लिए सरकार प्रावधान की हुई है लेकिन जो एकल मृत्यु अगर एक बेटा है, एक संतान है उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए कहीं भी कोई उसमें प्रावधान नहीं किया गया है तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सड़क सुरक्षा निधि जो आप बना रहे हैं इसमें जो दुर्घटनाएं होती है बड़ी संख्या में और बहुत सारे काल के गाल में समा जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार इसमें कुछ व्यवस्था करे कि एक व्यक्ति की जो मृत्यु होती हो उसमें इस निधि से उसको भी हम कुछ न कुछ राशि जो चार लाख देते हैं

इसमें भी राशि देगी इसीलिए मेरा जो है यह इसमें था और इसीलिए सिद्धांत पर विमर्श होने के लिए है, मैंने यह दिया था ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सर्वश्री विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, जिवेश कुमार एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ

''बिहार मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक,2016 दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

महोदय,जनमत जानना इसलिए भी आवश्यक है कि एक परसेंट टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है महोदय,वो टैक्स कहीं न कहीं उस गरीब जनता से वसूला जायेगा । जैसे ही यह बढ़ेगा इसके नाम पर वाहन का भाड़ा बढ़ जायेगा महोदय और भाड़ा बढ़ने से जिस मंहगाई के विरोध में गरीब जनता लड़ रही है वो महंगाई और बढ़ जायेगी । बिहार गरीब प्रदेश है महोदय इसलिए बिहार की जनता पर इस तरह का टैक्सेसन उचित नहीं है इसलिए इसमें जनमत जानना जरूरी है और महोदय,ये शराबबंद करने के नाम पर इसे इस तरह से अलग अलग रूप में टैक्सेसन लाकर उस गरीब जनता को हम जिस स्थिति ले जाना चाहते हैं महोदय, इससे अपराध भी बढ़ेगा और भी कई चीजें प्रभावित होगीं इसलिए इसमें जनमत जानना आवश्यक है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक, 2016 दिनांक 31दिसम्बर, 2016 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका एवं श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे ।''

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को यह सौंपना इसलिये भी आवश्यक है कि बिहार सड़क सुरक्षा की आवश्यकता है, न कि ज्यादा बिहार सड़क सुरक्षा निधि की । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आज बिहार में सड़क सुरक्षा की अति आवश्यकता है और उसपर जो आपने कार्यक्रम बनाया है, योजना बनाई है, वह प्रशंसनीय है लेकिन उसके लिये निधि बहुत महत्वपूर्ण इसलिये नहीं है कि पहले से लाइसेंस के रूप में हम टैक्स ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के रूप में हम टैक्स ले रहे हैं । बार-बार सरकार के मंत्री के द्वारा यह कहना कि बिहार के विकास के लिये टैक्स बहुत जरूरी है, मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि आज सुरक्षा जिसकी ज्यादा जरूरत है, आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पिछले 5 साल में 30,678 लोगों की बिहार में जानें गई हैं । निश्चित रूपेण सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा सदन आपके साथ है लेकिन उसकी निधि के लिये जो आप एक प्रतिशत टैक्स बढ़ा रहे हैं, उसकी निधि के लिये, आपने जो इसमें दिया है- नौसिखिया की अनुज्ञप्ति हेतु 50 रू0, गियर अथवा बिना गियरवाले दुपहिया के लिए अनुज्ञप्ति हेतु 100 रू0, हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति-गैर परिवहन हेतु 150 रू0, हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति-परिवहन हेतु 200 रू0, मध्यम और भारी मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु 500 रू0 ।

मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो बिहार में ओवरलोडिंग से गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर हम ओवरलोडिंग की गाड़ियों की सही ढ़ंग से जाँच करें और जाँच करके जो पेनाल्टी उसपर आती है, उस पेनाल्टी को अगर हम अपने इस निधि में लगा दें तो सारा निधि का कार्य इससे हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है । इस ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और सड़कों पर बिहार का जो राजस्व, हमारे पास जो जनता का आता है, वह धन उसमें हम लगाते हैं और प्रदूषण भी फैलता है । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप ओवरलोडिंग से आने वाली जो पेनाल्टी है, जो राशि है उससे आप निधि बनायें और सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रभावी बना सकें, इसके लिये इस विधेयक को हमें संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता है, जो अपना प्रतिवेदन छः माह के अन्दर दे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खण्ड–2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड– 2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड– 2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड– 1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिये निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की कार्यावधि आप सबकी सहमति से कार्य निस्तारित होने तक विस्तारित की जाती है ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो।''

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 सरकार ने लाया है । काफी इसकी आवश्यकता थी और लम्बे समय से देख रहे हैं हमलोग देश में और राज्य के अंदर में काफी दुर्घटनाएँ हो रही हैं । सरकार ने इस विधेयक को जो लाया है, वास्तव में सरकार को यह चिन्ता करनी चाहिये कि गाड़ियाँ जो काफी स्पीड में चल रही हैं उसको कैसे नियंत्रित करने का काम करें । मैं देखता हूँ महोदय सड़कों पर चलने के दौरान, आप भी देखते होंगे कि जो स्पीड है, उसके लिये भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, सभी राज्यों को उन्होंने एक निर्देश भी दिया है, राज्य के अंदर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक हो, टु-व्हीलर हों, फोर-व्हीलर हों, जिसका स्पीड सीमित दायरे में हो । दुर्घटना का एक बड़ा कारण अधिक स्पीड है ।

दूसरा, ओवरटेकिंग है । महोदय, सरकार का अच्छा प्रयास है और राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु राज्य के लिये चिन्ता का विषय है । ठीक ही हमारे साथी ने कहा है कि एकल दुर्घटना में सुविधा प्राप्त नहीं होती है, सामूहिक घटनाएँ घटती हैं, उसमें सरकार मुआवजा देने का काम करती है । हमारा भी आग्रह होगा, जब सरकार अभी बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक लायी है, उससे इतना टैक्स आने वाला है और वन-टाइम आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसमें बड़ी राशि एक बार में आप एडवांस ले लेते हैं और साथ-साथ राज्य में बड़े पैमाने पर नियम का उल्लंघन कर ओवरलोडिंग गाड़ियाँ भी चल रही हैं । इसके माध्यम ये भी यदि प्रयास करें तो आपको यह जो सड़क सुरक्षा निधि का प्रावधान जो ला रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती । तो निश्चित तौर पर आपने राज्य में हो रहे दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की है इसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में कैसे इसमें और कमी आये, निधि कोई महत्व नहीं है, विषय है कि कैसे कमी आये और भारत सरकार ने समय-समय पर इस संबंध में जो गाईड-लाईन दिया है, राज्य सरकार को भी इन क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी परामर्श लेकर, फीडबैक लेकर आगे कैसे इसमें कैसे कमी आये, यह प्रयास करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री : महोदय, डब्लू0एच0ओ0-वर्ल्ड हेल्थ ऑरगनाइजेशन के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है । दुर्भाग्यवश इसमें सबसे ज्यादा युवा और छोटे बच्चे शामिल होते हैं, उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि भारत में ही सिर्फ डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है । इसलिये यह अत्यंत जरूरी है कि सड़क सुरक्षा के उपाय किये जायं और त्वरित कार्रवाई इसपर की जाय ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्घटनाओं के कई कारण हैं । मुख्य रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़कों का इंजीनियरिंग डिजाइन ठीक नहीं होना, लोगों के बीच में यातायात नियमों का ठीक से पालन नहीं होना । इस तरह की कई समस्याएँ हैं जिसके कारण भारत में सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं । महोदय, इन्हीं सब कारणों को देखते हुये, इन दुर्घटनाओं के कारणों एवं निदान के उपायों के सुझाव हेतु गठित सुन्दर कमिटी, लॉ कमीशन एवं अन्य स्वतंत्र संस्थाओं ने सर्वेक्षण और आंकड़ों के आधार पर एक रिट याचिका दाखिल की थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसी के आधार पर एक आदेश पारित हुआ था, जिसके अनुपालन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कमिटी का गठन किया गया है जिसका कार्य देश के सभी राज्यों में सड़क सुरक्षा के उपायों की समीक्षा, अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन करना है ।

...क्रमशः...

टर्न-20/आजाद/02.08.2016

..... क्रमशः .....

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री : महोदय, इसी के तहत पथ निर्माण विभाग ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक सड़क सुरक्षा की कार्य योजना बनायी है । उसी के तहत ये सारे चीजें हमलोगों ने जो अभी संशोधन का प्रस्ताव लाया है, उसको हमलोगों ने लाने का काम किया है । चूँकि सड़क दुर्घटना में कई सारे विभाग शामिल होते हैं, यथा स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग हो, पुलिस, गृह विभाग हो, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की बात है, ये सारे विभाग इसमें शामिल होते हैं । इसलिए परिवहन विभाग को इसमें नोडल विभाग के रूप में नामित करने का काम किया गया है महोदय, इस कार्य योजना को पूरा करने में सड़क दुर्घटना को कम करने में, उसमें मृत्यु को कम करने में हमलोगों को निश्चित रूप से निधि की आवश्यकता होगी । सुरक्षा निधि की आवश्यकता होगी, जिसका विवरण हमलोगों ने दिया है कि किस तरह से हमलोग सुरक्षा निधि को संचालित करेंगे, कहां-कहां से हमको आय की प्राप्ति होगी । केन्द्र सरकार हमें अनुदान देता है या हमें कोई भी चैरिटी, संस्था हमको अनुदान देता है और बाकी कुछ हम अपने संसाधनों से इसका उपाय करने का काम करेंगे । महोदय, सड़क सुरक्षा काफी अहम है लोगों के

जीवन के लिए, आने वाले समय में जिस तरह से दुर्घटनायें बढ़ी है, जिस तरह से भारत में और बिहार में दुर्घटनायें बढ़ी है । निश्चित रूप से इस निधि के द्वारा जो कार्य करते हैं हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को छोटी-छोटी बातें हम बता सकते हैं कि किस तरह से हेलमेट लगा करके, स्ट्रेप लगाकर के किस तरह से नियमों का पालन करके हम जान और माल की सुरक्षा कर सकते हैं । इसलिए यह विधेयक लाया गया है, संशोधन विधेयक लाया गया है । आशा है कि इसके कारण हमलोग जितनी दुर्घटनायें घट रही है, उसमें कमी लाने का काम करेंगे, लोगों का जान बचाने का काम करेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि इसकी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक,2016 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,</u>2016

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं श्री मिथिलेश तिवारी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 के सिद्धांत पर विमर्श हो । ''

अध्यक्ष महोदय, राज्य में एक पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की जरूरत थी और सरकार यह खोलने जा रही है तो निश्चित रूप से यह स्वागतयोग्य कदम है । मैं इसका स्वागत करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, इसको और व्यापक बनाया जाय । यह विश्वविद्यालय केवल विद्यार्थियों को केवल सार्टिफिकेट देने का माध्यम नहीं हो । यह आम जनता के हित में काम करे, ऐसा जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनना चाहिए । जो हमारे राज्य में पशुओं के जो पुराने नस्ल थी, उस नस्लों को फिर से कैसे राज्य में उन नस्लों को लाया जाय, चाहे जो राष्ट्रीय संस्थान हैं पशुओं के, चाहे वह भेड़ का राष्ट्रीय संस्थान हो, बकरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, उन सभी को इन स्थान से लिंकअप किया जाय। आप कह सकते हैं कि विधेयक लाये हैं तो बाद में जो है, इसको कैसे क्या चलायेंगे, उसको देखा जायेगा । अध्यक्ष महोदय, आज नई-नई अन्तर्राष्ट्रीय तकनीक उपलब्ध है । आज बिहार की जो गायें हैं या भैंसे हैं, वह बहुत कम दूध देती है, उसको कैसे उत्तम किस्म का बनाया जाय और जो उत्तम नस्ल हो, इस विश्वविद्यालय में उत्तम किस्म के पशु भी उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था इन विश्वविद्यालयों में की जाय । अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय जहां खुले, वह निश्चित रूप से बिहार में पहले सर्वेक्षण होना चाहिए । मिथिला का क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहां कृषि नष्ट हो जाती है, आय का श्रोत नहीं है । लोग बड़ी संख्या में पशु है लेकिन पशु के अच्छे नस्ल नहीं हैं । इसलिए सरकार जब इसको खोले तो निश्चित रूप से मिथिला क्षेत्र में जो है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसकी भी चिन्ता सरकार को करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : संजय जी, यह सब तो कार्यक्षेत्र और कार्य प्रणाली की बात है ।

श्री संजय सरावगी : हमलोगों को इसपर और थोड़े बोलने का मौका मिलेगा अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप तो सिद्धांत से सहमत हैं ।

श्री संजय सरागवी : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने तो पहले ही कहा कि यह अच्छा और स्वागतयोग्य कदम है ।

अध्यक्ष : आपको सिद्धांत पर सहमति है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हम यह चाह रहे थे कि सिद्धांत से सहमत जरूर हैं लेकिन इसमें व्यवस्था कर दिया जाय कि मिथिला क्षेत्र में खुलेगा, क्योंकि वह पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है हुजूर मिथिला का और वहां कृषि नष्ट हो जाती है और वहां बड़ी संख्या में पशु उपलब्ध हैं जो अच्छे नस्ल के नहीं हैं । अनुसंधान की जरूरत है, इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रस्ताव रखा था कि निश्चित रूप से सरकार और माननीय मंत्री इसपर विचार करेंगे ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे । ''

महोदय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 जो राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें मेरा आग्रह है कि जब राज्य में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी काम कर रही है और उसके माध्यम से राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसका संचालन हो रहा है तो अलग से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ । कारण यह है कि राज्य सरकार बराबर जो है आर्थिक संसाधनों का रोना रोती है, राज्य सरकार कहती है कि हम पिछड़े राज्य हैं , हमारे पास आर्थिक संसाधन की कमी है और उस स्थिति में एक नया यूनिवर्सिटी खोला जायेगा, इससे राज्य पर एक आर्थिक बोझ आयेगा तो मेरा यह प्रस्ताव है कि एक तो इस पर विचार करना चाहिए था, यह जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से संचालित करना चाहिए था लेकिन अगर राज्य सरकार इस विधेयक को लाने पर आमादा है तो इसको संयुक्त प्रवर समिति के हवाले किया जाय ताकि संयुक्त प्रवर समिति इसपर विचार करे और विचार करने के बाद ही इस विधेयक को पास किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से छः माह के अन्दर दे । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 से 9 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''खंड-2 से 9 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-2 से 9 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-10 में एक संशोधन है ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, क्या आप अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : मूव करेंगे हुजूर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''विधेयक के खण्ड-10 के उप खण्ड (2) की कंडिका (xv) के बाद एक नई कंडिका (xvi) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''(xvi) बिहार विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट विधान सभा के दो सदस्य।''

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रबंध बोर्ड है, उसमें बहुत तरह के सामाजिक कार्यकर्ता, उत्कृष्ट महिला, किसान आदि के गठन में इसकी व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विधायिका से भी दो सदस्य इस विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्य होने चाहिए । इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है । यह तो विधायिका का बात है अध्यक्ष महोदय, इसमें तो पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है महोदय । निश्चित रूप से विधान सभा की ओर से निर्दिष्ट होगा तो उसमें सत्ता पक्ष की अहम भूमिका रहेगी अध्यक्ष महोदय । इसलिए माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि इसका जो प्रबंध बोर्ड बने, प्रबंध बोर्ड में विधायिका कहीं भी नहीं रहे, इसीलिए मेरा इसमें प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय कि बिहार विधान सभा से जो आप नामित करते हैं, उसमें दो सदस्य इसके प्रबंध बोर्ड में हो । इसीलिए मेरा यह संशोधन है ।

टर्न-21/अंजनी/दि0 2.8.16

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-10 के उप खंड(2) की कंडिका (xv) के बाद एक नई कंडिका (xvi) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"(xvi) बिहार विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट विधान सभा के दो सदस्य ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : खंड-11 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-12 में एक संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूँगा । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

विधेयक के खंड-12 के उप खंड (1) की कंडिका (xi) के बाद एक नई कंडिका (xii) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

"(xii) बिहार विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट विधान सभा के दो सदस्य ।

अध्यक्ष महोदय, विद्वत् परिषद, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, जिसके विद्वत् परिषद में विधायिका समावेश न हो लेकिन इस विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद में कहीं भी विधायिका का समावेश नहीं है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष संशोधन के रूप में नहीं ले । माननीय मंत्री जी को घोषणा करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा विश्वविद्यालय है बिहार में जिसके विद्वत परिषद में विधायिका का समावेश न हो । इस पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नहीं है, इसलिए मेरा संशोधन है कि बिहार विधान सभा से दो सदस्य के नाम निर्दिष्ट किया जाय ।

अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, बिना विधायकों के कहीं विद्वत परिषद नहीं होते हैं ?

श्री संजय सरावगी : जो भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय का जो सिनेट है, उसमें आपको नाम नामित करने का अधिकार है बिहार विधान सभा को सभी विश्वविद्यालयों में लेकिन इस विश्वविद्यालय में नहीं है । इसमें आपको अधिकार नहीं होगा कि सदस्य को भेज सकें, इसलिए मेरा कहना है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाय...

श्री सदानंद सिंह : कहीं भी अकादमिक परिषद में विधायिका नहीं रहती है । अकादमिक परिषद विद्वत परिषद वही हुआ । राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में या सबौर कृषि विश्वविद्यालय में रहा करता है लेकिन अकादमिक काउन्सिल में नहीं ।

अध्यक्ष : संजय जी, माननीय सदस्य श्री सदानंद बाबू पुराने सदस्य हैं । उन्होंने आपके दूसरे संशोधन पर अपना विचार आपके पहले के संशोधन के संबंध में भी दे दिया । उन्होंने कहा कि अकादमिक काउन्सिल में, विद्वत परिषद में होने का औचित्य नहीं है लेकिन प्रबंध परिषद में हो सकता है। उन्होंने दोनों बात कह दी है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''विधेयक के खंड-12 के उप खंड (1) की कंडिका (xi) के बाद एक नई कंडिका (xii) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

(xii) बिहार विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट विधान सभा के दो सदस्य ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-13 से 53 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-13 से 53 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 से 53 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक,2016 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 लाया गया । बिहार राज्य कृषि आधारित राज्य है । राज्य की आबादी बढ़ रही है और राज्य की बढ़ी हुई आबादी गांव में रहती है । 90 फिसदी लोग गांव में रहते हैं और गांव में जो कृषि आधारित पशु हैं, जिसपर हमारा कृषि निर्भर करता है और बदलते परिवेश में दुनिया बदल रही है, दुनिया विकास की दौर में आगे जा रही है तो राज्य सरकार ने एक अच्छा पहल किया है और राज्य सरकार के पहल का, विश्वास का । एक जमाने में पशुपालन विभाग जो था, चारा घोटाले के नाम से जाना जाता था । आज मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने एक अच्छी पहल की है और उसके अच्छे परिणाम आयेंगे , इस पहल का हम स्वागत करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के गठन के बाद पशुपालन मत्स्य विभाग ने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रभारी मंत्री होने का अपना विजन तीनों मिलाकर यह अनुभव किया कि बिहार में हम पशुपालन विभाग, हमारे जो भी माननीय सदस्य पक्ष में हों या विपक्ष मे हों, सभी पशुपालन विभाग से जुड़े हैं । लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं और हर विधायकों का एक ही मांग रहता है कि हमारे क्षेत्र में डाक्टर की कमी है, हमारे क्षेत्र में कम्पाउंडर नहीं है, वह विचार-विमर्श करने के बाद अध्ययन किया गया कि 1927 में बिहार में वेटेनरी कॉलेज की स्थापना की गयी थी । 1927 के बाद देश 21वीं सदी में जा रहा है, भारत 21वीं सदी का अंगराई ले रहा है और बिहार में 1927 के बाद यहां कोई पशु विश्वविद्यालय नहीं है और एक निर्णय लिया गया । आज हम अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं कि सदन के सामने राज्य के ग्रामीण इलाकों को बताने के लिए जनता के सामने आज हम विधिवत् घोषणा बिहार विधान सभा में करते हैं कि आज बिहार में हमारे माननीय सदस्य पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय का, जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी आपने दी है ।

क्रमशः....

टर्न–22/शंभु/02.08.16

श्री अवधेश कुमार सिंह : क्रमशः.....विश्वविद्यालय सिर्फ पशुओं के लिए नहीं खोला गया है अध्यक्ष महोदय । हमारे सरावगी जी, हमारे अन्य सदस्य जो बोले हैं इसमें हमारे मत्स्य, हमारे राज्य में बहुत से आप तमाम सदस्य है, सभी गांव शहर के परिवेश से आते हैं । आज आप अपने इलाके में बताएं कि कौन–कौन सी ऐसी प्रजातियां हमारी हैं, सिर्फ पशु नहीं, गाय और भैंस, बाछा नहीं हमारी पक्षियां, कौन–कौन पक्षी हमारे बिहार में विलुप्त होते जा रहा है । हमें मत्स्य के मामले में हमें जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं । इसके पीछे जाने का कारण क्या है ? कारण है कि आज शोध की कमी थी और जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो देश और विदेश से शोध करनेवाले लोग आयेंगे । हमारा आज पूसा को सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय का मान्यता दिया गया । अब हम पशुपालन विभाग और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अग्रसर होंगे और देश और विदेशों में बिहार के नाम को गौरवान्वित करेंगे और बिहार में जो कमी है हमारे डाक्टरों की उस कमी को पूरा करने का भी काम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से करेंगे । हमारे माननीय सदस्य सदानन्द बाबू ने, हमारे माननीय सदस्य चाहे सत्तापक्ष के हों, विपक्ष के हों वे सिंडिकेट की बात किये हैं उसपर निश्चित तौर पर विभाग कन्सीडर करेगा कि हर युनिवर्सिटी में, हर जगह बिहार विधान सभा के सदस्य रहते हैं तो इस विश्वविद्यालय में भी हम उसका प्रोविजन करेंगे अपने विभाग के पदाधिकारियों के और ये जो बनाये हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि उसमें हमारे माननीय सदस्यों को भी आप जगह दें और अध्यक्ष महोदय, आज से इस बिहार में एक नई रौशनी हमारे पशुपालन विभाग, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार के अपने तमाम पशुपालकों को अपने तमाम बिहारवासियों को यह संदेश देने का काम हम कर रहे हैं कि आनेवालो दिनों में हम बिहार में जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, मछली पालन वाले हैं तमाम लोग इसमें अच्छे–अच्छे शोधकर्त्ता आयेंगे और यहां से देश विदेश की गुणवत्ता को बढ़ायेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ हम सदन से पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे इस विश्वविद्यालय की स्थापना की आप अनुमति दें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, २०१६

अध्यक्ष : अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 । प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग।

श्री रामविचार राय,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री रामविचार राय,मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री रामविचार राय,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डश: लेता हूँ। खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री रामविचार राय,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 लाया गया है । मैं देख रहा था उद्देश्य और हेतु में कि 1905 में समस्तीपुर जिला के पूसा में देश का प्रथम कृषि अनुसंधान की स्थापना की गयी थी । महोदय, यह संस्थान एक लंबे समय से वहां स्थापित था, लेकिन 1934 भूकम्प के बाद यह संस्थान परिस्थितिवश नयी दिल्ली स्थानान्तरित करना पड़ा सरकार को और पूसा के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने और हमारे जो बिहार से मोतिहारी से हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के पहल पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो सरकार ने एलान किया है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हम सबों के लिए गौरव और बिहार के आजादी की लड़ाई में आजादी के बाद उनकी अहम भूमिका रही और हम सबों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी के नाम पर जो हम सबके लिए गौरव है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से हुए और आज उनके नाम पर केन्द्र सरकार के प्रयास से और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी के प्रयास से आज जो कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, हम केन्द्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता की ओर से बधाई देना चाहते हैं । मैं कृषि मंत्री जी को भी बिहार की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता बिहार के लिए की है वह काफी प्रशंसनीय है,

इसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है । यह जो प्रस्ताव लाया गया है इसका हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को और देश के कृषि मंत्री जी को हम बधाई देते हैं ।

अध्यक्ष : अब सरकार का जवाब, माननीय मंत्री ।

टर्न-23/अशोक/दिनांक 02.08.2016

श्री रामविचार राय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1905 में पूसा में देश के पहले कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी । वर्ष 1934 में भूकंप के बाद यह संस्थान नई दिल्ली में स्थानान्तरित हो गया । वर्ष 1971 में बिहार सरकार के द्वारा राजेन्द कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पूसा में की गई ।

दिनांक 01.06.2008 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए पत्र लिखा गया ।

राज्य सरकार की पहल तथा अनरवत प्रयास के बाद राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्दीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 25.01.2015 को भारत सरकार तथा राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । भारत सरकार के द्वारा डा0 राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की स्वीकृति दी गई ।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम,1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) से शासित है । वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। डा0 राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को मूर्तरूप देना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 को स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार कृषि विश्वविद्यालय(निरसन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो ।''

चूंकि इस प्रस्ताव के विपक्ष में कोई माननीय सदस्य नहीं हैं इसलिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय(निरसन) विधेयक, 2016 सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 02 अगस्त, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-42 है, अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 03 अगस्त, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।